खण्ड–39, अंक–01
बुधवार, 29 माघ, शक संवत्, 1935
(दिनांक 19 फरवरी, 2014 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)

(प्रथम सत्र, 2014)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 39 में 02 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2014

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
नियम 310 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना पर चर्चा कराए जाने की माँग	1–7
प्रश्नोत्तर	7–35
नियम 310 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना पर पुनः चर्चा कराए जाने की माँग	36–37
नियम– 300 के अन्तर्गत सूचनाएं	37
विधान सभा क्षेत्र सल्ट के स्यालदे नामक स्थान पर वर्षों से स्वीकृत मिनी स्टेडियम न बन पाने के कारण व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	37–38
जनपद चम्पावत के सिल्थाम स्थित सुभाष बेकरी के सामने मकानों के ऊपर से गुजर रहे हाईटेन्शन बिजली के तारों से उत्पन्न खतरों के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	38
प्रदेश में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के सापेक्ष पदों की विज्ञप्ति जारी होने से बेरोजगारी बढ़ने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	38–39
विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में आई0डी0पी0एल0 टाउनशिप वासियों को घरेलू दरों के स्थान पर कमर्शियल दरों पर विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	39
विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विडौरा में छमीपाथ शाही गुरुद्वारा एवं ग्राम पंचायत भरौनी के ग्राम लामाखेड़ा के पास खखरा नाला में पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	40
विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम धिस्सूपुर एवं धनपुरा में मकानों के ऊपर से गुजर रहे हाईटेन्शन बिजली के तारों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	40
विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत स्थित फल पट्टी के किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादन क्षेत्र में ही पैकिंग बाक्स फैक्ट्री स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना ...	40–41

विषय	पृष्ठ संख्या
केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2012–13 का वार्षिक लेखा विवरण	41
जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोडू में प्राकृतिक जलस्रोत के साथ पानी का भण्डारण किये जाने हेतु टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	41
श्री कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2013 एवं 20 जनवरी, 2014 को नियम–65 में दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर विनिश्चय दिये जाने की माँग	42
दिनांक 6 फरवरी, 2014 के उपवेशन में उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर मा0 अध्यक्ष का विनिश्चय	43–44
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित)	44–45
उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) ...	45
उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) ...	45–46
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	46–47
नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना को चर्चा हेतु पुनः उठाये जाने का प्रयास	47–48
अनुदान संख्या–01, विधान सभा	48
अनुदान संख्या–03, मंत्रिपरिषद्	48–49
अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन	49
अनुदान संख्या–08, आबकारी	49–50
अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल	50–51
अनुदान संख्या–14, सूचना	51
अनुदान संख्या–21, ऊर्जा	51–52
अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण	52
अनुदान संख्या–23, उद्योग	52–53
अनुदान संख्या–27, वन	53
उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 (पारित)	53–59

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा	59–66
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	66–67
विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्याल्दे एवं मानिला महाविद्यालयों को पूर्ण पी0जी0 की मान्यता देने की मांग के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	67
जनपद हरिद्वार के जिला अस्पताल/मेला अस्पताल में डाक्टरों की कमी के कारण मरीजों को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	67–68
प्रदेश में नये परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्देश	68–69

'क'

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अजय भट्ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्री आदेश चौहान
7–श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश
8–श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9–श्री गणेश जोशी
10–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
11–श्री चन्दन राम दास
12–श्री चन्द्र शेखर
13–डा0 जीत राम
14–श्री तीरथ सिंह रावत
15–श्री दलीप सिंह रावत
16–श्री दान सिंह भण्डारी
17–श्री दिनेश अग्रवाल
18–श्री दिनेश धनै
19–श्री नवप्रभात
20–श्री नारायण राम आर्य
21–श्री पुष्कर सिंह धामी
22–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
23–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
24–श्री प्रदीप बत्रा
25–श्री प्रीतम सिंह
26–श्री प्रीतम सिंह पंवार
27–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
28–श्री प्रेम सिंह
29–श्री फुरकान अहमद
30–श्री बंशीधर भगत
31–श्री मदन कौशिक
32–श्री मनोज तिवारी
33–श्री मयूख सिंह
34–श्री महावीर सिंह
35–श्री माल चन्द
36–श्री यतीश्वरानन्द
37–श्री यशपाल आर्य
38–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
39–श्री राजकुमार
40–श्री राजेश शुक्ला
41–श्री ललित फर्स्वाण
42–श्री विक्रम सिंह नेगी
43–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
44–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
45–श्री बिशन सिंह चुफाल
46–श्रीमती शैला रानी रावत
47–श्री संजय गुप्ता
48–श्री सरवत करीम अंसारी
49–श्रीमती सरिता आर्या
50–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
51–श्री सुबोध उनियाल
52–श्री सुन्दर लाल मंद्रवाल
53–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
54–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
55–श्री हरबन्स कपूर
56–श्री हरभजन सिंह चीमा
57–श्री हरिदास
58–श्री हरीश धामी
59–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
60–श्री हेमेश खर्कवाल

बुधवार, दिनांक 19 फरवरी, 2014 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े रहे।)

बागवानी मिशन (हार्टिकल्चर मिशन फार नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में काश्तकारों/उद्यान कर्मियों को आवंटित योजनाओं द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के एक मंत्री के परिवार को लाभ पहुँचाने सम्बन्धी प्रकरण को नियम 310 में उठाए जाने का प्रयास

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमारी नियम 310 की सूचना है।

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, नियम–310 की सूचना है। बहुत ही गम्भीर आरोप है। जब इस सदन के माननीय मंत्री पर यह आरोप लगे कि उन्होंने टैक्निकल मिशन का जो सारा पैसा है, वह अपने परिवार के लोगों को भी दिया है और वह रिटन में आ जाए, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही असमंजस की स्थिति में रहते हैं और हमको इस तरह से काम करना होता है। कोई अपना पराया देखना नहीं पड़ता है, नेता प्रतिपक्ष का काम है लेकिन ये इतना गंभीर मामला है। इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

इसको नियम–58 में ले लेंगे।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर–व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, दि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ दि पीपुल एक्ट, 1951 के अनुसार यह सीधे–सीधे करप्शन का मामला है। जिन मंत्रियों का दायित्व है, लोगों को देना, लोगों के लिए काम करना, लोगों की रक्षा करना, जिस विभाग में हैं, उस विभाग की रक्षा करना, अगर वह इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे ज्यादा गंभीर तो कोई मामला हो ही नहीं सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, इससे गंभीर मामला नहीं हो सकता।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कम से कम 100 करोड़ रुपया टैक्निकल मिशन में अभी तक आ चुका है। सिर्फ 4 करोड़ रुपये का घपला नहीं है। इसमें दो–दो बार, तीन–तीन बार एक पॉली हाउस को 7 लाख, 8 लाख, 40 लाख, 9 लाख, इस तरह से बांटे हैं। इससे गंभीर मामला नहीं हो सकता। मान्यवर, इस प्रदेश को बचाने का दायित्व हम सबका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसको 58 में ले लेंगे। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है, वरना हम इतनी जिद नहीं करते क्योंकि यह एक मंत्री से सम्बन्धित है और यहाँ तक कि मंत्री जी ने एडमिट भी कर लिया है, उन्होंने कहा है कि हम भी किसान हैं। यानी कि नियम और कानून कुछ नहीं हैं। फोटो तक गायब हो गयी ताकि पहचान न लें। (व्यवधान) मान्यवर, हमारा किसी मंत्री को बदनाम करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मान्यवर, एक मामला जब आया है, इतना भयंकर मामला है। यह छोटा–मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले को 310 में सुनें और सी0बी0आई0 जाँच करवाएं क्योंकि यह कम से कम 100 करोड़ रुपये का मामला है। देहरादून का मामला अभी तक कम से कम 4 करोड़ का सामने आया है। इसलिए कम से कम सी0बी0आई0 की जाँच होनी चाहिए। यह बहुत भयंकर मामला है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष–

58 में सुन लेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह 58 का सवाल नहीं है। यह 310 का मामला है, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। जो सदन के सदस्य हैं, यह छोटा–मोटा मामला नहीं है। बहुत बड़ा मामला है। उसके बाद एडमीशन हो जाता है और एडमीशन में यह कहा जा रहा है कि हम भी किसान हैं, हम दे सकते हैं, तो यह सीधे–सीधे दि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ दि पीपुल एक्ट, 1951 के तहत करप्ट प्रेक्टिसेज में आता है। इसमें पहले माननीय मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देने के बाद सदन को बताना चाहिए कि आखिर यह हुआ कैसे। मान्यवर, यह 310 का मामला है, इससे कम पर यह कम्प्रोमाइज भी नहीं हो सकता

है। इससे कम में मैं समझता हूँ कि कोई सदस्य नहीं चाहेगा। सब यही चाहेंगे कि इस पर बहस हो। अगर गलत है, जिन लोगों ने यह कागज उपलब्ध कराए हैं, अगर ये गलत हैं, तो फिर हाउस के अन्दर गलत साबित हों, मंत्री पर भी गलत ब्लेम नहीं लगना चाहिए। अगर गलत है तो कोई मंत्री बदनाम भी नहीं होना चाहिए। यह डॉक्यूमेंट विपक्ष के पास आया है और सप्रमाण है। ऐसे प्रमाण में जो आदमी है, अगर वह आदमी नहीं है, तो कौन है? इसकी जाँच होनी चाहिए। इस तरह से अगर फर्जी वितरण हुआ है, टैक्निकल मिशन में मान्यवर, यह 100 करोड़ से कम का घोटाला नहीं है, यह घोटाला आज से नहीं है, 2004–05 से जो यह टेक्निकल मिशन लगा हुआ है, उसमें लगातार इसी किस्म से बंटा है। मुझे तो यह भी जानकारी मिली है कि जौनसार बावर क्षेत्र में किसानों को दिए ही नहीं गए हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसको नियम 58 में सुन लेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह बहुत तात्कालिक और अविलम्बनीय है, इसे 310 में सुनना चाहिये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह इतना गम्भीर मामला है कि जब ट्रेजरी बेंच के किसी माननीय मंत्री पर आरोप लगा है, वह आरोप सत्य है या नहीं, वह भी इस सदन में आना चाहिये। हो सकता है कि हमको गलत डाक्यूमेंट मिला हो, सूचना के अधिकार में यदि कोई गलत देता है तो वह भी फंसेगा, किस तरह से दिया सूचना के अधिकार में। तो हम निश्चित सूचना दे रहे हैं, निश्चित बिन्दुओं पर दे रहे हैं और निश्चित तरीके से आ रहा है।

श्री अध्यक्षः–

नियम 58 में इसको सुन लेंगे, उसमें इसका उत्तर आ जाएगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इससे अधिक लोक महत्व का विषय और कुछ हो ही नहीं सकता है।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, आवेदन पत्र से फोटो गायब कर देना और आइडेंटिटी तक को गायब करा देना, यह तो गम्भीर है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आइडेंटिटी गायब करवाना तो करप्ट प्रेक्टिस में आता है, इस पर तो 310 में ही चर्चा कराई जानी चाहिये, उससे कम में तो इसे सुना ही नहीं जा सकता है। (व्यवधान) मान्यवर, इसमें तो सी0बी0आई0 इन्क्वायरी की सिफारिश होनी चाहिये, यह देहरादून का मामला है, सिर्फ इसी मामले में 4 करोड़ से ज्यादा टेक्निकल मिशन ने दिया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, इसे 58 में सुन लेंगे और उस पर उत्तर आने के बाद यह गम्भीर मामला हुआ तो इसमें निर्णय दिया जाएगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ट्रेजरी बेंच के सदस्य का मामला है, जो कि एक मंत्री भी हैं, यह एडमीशन भी हो गया।

श्री अध्यक्ष–

नियम 58 में आपको पूरा समय दिया जाएगा, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, सरकार का जवाब भी आएगा आवश्यकता पड़ी तो सरकार को निर्देश भी दिये जाएंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपकी मंशा भी हम जानते हैं, आपका आदेश सरमाथे पर है, लेकिन यह मामला बहुत गम्भीर है, इसको तो 310 पर सुना ही जाना चाहिये। यह तो सरकार को खुद भी कहना चाहिये, अगर यह बात सत्य है, तो इससे तो पूरी सरकार पर आरोप लग रहा है। एक मंत्रिमण्डल के साथी का किया हुआ कार्य, ज्वाइंट एण्ड सेवरल लाईबिलिटी के अन्तर्गत आता है, यह पूरी सरकार को घेरता है, इसलिये पूरी सरकार कटघरे में है। सरकार ने टेक्निकल मिशन में 13 जिलों में 100 करोड़ रुपया बांटा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आपकी सूचना की कितनी सत्यता है, वह 58 के बाद सामने आ जाएगी, सरकार का भी जवाब आ जाएगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मंत्री जी ने खुद एडमिट कर दिया है, अखबारों में आया है। प्रश्नकाल हमारा है, आप इसे 310 में सुन लें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह इतना गम्भीर मामला है, इस मामले को छोड़ा नहीं जा सकता है, अगर यह गलत है, तो ठीक है, निर्णय हो जाएगा, (व्यवधान)

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, इसमें तथ्यों को दबाने का प्रयास किया गया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो क्रिमिनल केस भी है, अगर आपने आइडेंटिटी छुपाई है, फोटोग्राफ नहीं लगे हैं, आम किसान का आप फोटो लेते हैं और मंत्री जी के परिवार का फोटो नहीं लगा है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री बंशीधर भगत, श्री हरबन्स कपूर, श्री अजय टम्टा अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, तो इसमें क्रिमिनल लाईबिलिटी भी फिक्स होती है। इसलिए मान्यवर, यह इतना गंभीर मामला है और सारा गंभीर मामला है इसलिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसे नियम–58 में सुन लिया जाएगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह 100 करोड़ से कम का मामला नहीं है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मेरा निवेदन है कि यह पूरे प्रदेश से संबंधित मामला है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इसे नियम–58 में ले लिया जाएगा, 58 में सुन लेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। एक तो आप गलत काम करिये और फिर कहिये कि मैं भी किसान हूँ। मान्यवर, मंत्री सरकार की प्रापर्टी का कस्टोडियन होता है, अपने घर के लिए नहीं होता है। जो हमारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, कानून है 1951, उसके आधार पर एक मिनट भी मंत्री जी को रुकने का यहाँ पर कोई हक नहीं है मान्यवर, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि इसको 58 में सुन लेंगे, प्रश्नकाल चलने दीजिए, 58 में सुन लेंगे। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारे लिए प्रश्नकाल से ज्यादा महत्वपूर्ण, इस प्रदेश को बचाना है, इस प्रदेश पर जो आग लगी हुई है, यह प्रदेश जो उजड़ रहा है इस तरह के तत्वों से, इस तरह के कारनामों से, उस प्रश्नकाल से पहले हमको इसको बचाना है। प्रश्नकाल तो हमारा है, हमें अपने प्रश्नकाल की परवाह नहीं है, यह पूरे प्रदेश का मामला है। टेक्निकल मिशन में सिर्फ 04 करोड़ रुपये देहरादून के बांटे गये हैं, यह 100 करोड़ से ऊपर पूरे उत्तराखण्ड में बंट चुका है आजतक। (व्यवधान) यह 2012–13 और अब 2013–14 में फिर आने वाला है तो यही अगर होता रहा, यह एक भी इसमें सत्य नहीं है, इसकी सत्यता की जाँच होनी चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए मान्यवर, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसे नियम–58 में सुन लेंगे। बात आपकी 58 में आ जाएगी, जवाब आ जाएगा। प्रश्नकाल चलने दीजिए, 58 में हम सुन लेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, प्रश्नों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, क्योंकि जिनको दायित्व है प्रदेश को आगे ले जाने का, प्रदेश की सम्पत्तियों को संयोजित रखने का, प्रदेश की सम्पत्तियों की पहरेदारी, निगरानी करने का, अगर वो घर के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस तरह से प्रयोग करते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, 310 में इसे नहीं लेंगे तो किस नियम में लेंगे?

श्री अध्यक्ष–

इसे नियम–58 में लेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो आपदा से भी बड़ी आपदा आ गयी है।

*चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, कोई आपदा नहीं आयी है। मैं आपके माध्यम से (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अगर इसमें नहीं लिया गया, यह तो बहुत ही गंभीर मामला है। 100 करोड़ रुपया आज तक बंट चुका है, जिस तरह से फर्जी तरह से यहाँ पर बंटे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

सुरक्षाधिकारी, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12.20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

आपदा के कारण उत्तराखण्ड के गाँवों का विस्थापन?

*01–श्री महावीर सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आपदा के कारण उत्तराखण्ड प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितने गाँवों के विस्थापन होना है तथा क्या सरकार इसमें भूवैज्ञानिकों की मदद ले रही है? यदि हाँ, तो भूवैज्ञानिकों ने अभी तक कितने गाँवों को विस्थापन हेतु चिन्हित किया है ?

क्या सरकार उन गाँवों के विस्थापन हेतु विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपदा प्रबन्धन, राजस्व, सिंचाई मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

जिलों से प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश के लगभग 337 ग्रामों को आपदा की दृष्टि से संवेदनशील चिन्हित किया गया है।

भूवैज्ञानिकों द्वारा 158 ग्रामों का भूगर्भीय सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष अन्य ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य गतिमान है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन प्रथम चरण में अतिसंवेदनशील ग्रामों के विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र घनसाली में क्षतिग्रस्त भूमि, सड़क, पुल तथा पशुहानि एवं जनहानि की क्षतिपूर्ति का विवरण

*02–श्री भीमलाल आर्य–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल की दैवीय आपदा/त्रासदी, 2013 से प्रभावित विधान सभा क्षेत्र घनसाली में कुल कितनी भूमि (सिंचित/असिंचित), सिंचाई नहरें, लघु सिंचाई नहरें पेयजल योजनाएं (पेयजल निगम, स्वजल, स्वैप, जल संस्थान), विद्युत लाइनों, सम्पर्क मार्ग/पुलिया, वन भूमि सम्पर्क मार्ग/पुलिया, मोटर मार्ग/पुल, आवासीय भवन विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुए तथा कुल कितनी पशुहानि जनहानि हुई है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि किन–किन विभागों को क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु आवंटित भवन तथा पशुहानि जनहानि होने पर कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

श्री यशपाल आर्य–

विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत 62.361 है0 भूमि (सिंचित/असिंचित) क्षतिग्रस्त हुई है, 75 सिंचाई नहरें, 177 लघु सिंचाई नहरें, 14 स्वैप की पेयजल लाइनों, 36 पेयजल निगम की लाइनें, 65 जल संस्थान की पेयजल लाइनें तथा 53 एकल ग्राम पेयजल योजना की लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। विद्युत विभाग की 37.88 कि0मी0 लाइन (11 के0वी0 व एल0टी0 लाइन) क्षतिग्रस्त हुई हैं।

113 सम्पर्क मार्ग कच्चे/पक्के व पुलिया, पी0एम0जी0एस0वाई0 के 14, ए0डी0बी0 के 02 व लो0नि0वि0 के 30 मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं।

48 आवासीय भवन पूर्ण, 183 तीक्ष्ण तथा 375 आंशिक क्षतिग्रस्त हुए है तथा 70 बड़े व 105 छोटे पशुओं की मृत्यु हुई है। उक्त के अतिरिक्त 02 व्यक्ति मृत व 06 लापता हुए हैं।

क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु ₹ 20.20 लाख जल संस्थान, ₹ 5.94 लाख पेयजल निगम तथा ₹ 21.47 लाख की धनराशि लोक निर्माण विभाग को आवंटित की गई है।

536 पूर्ण/तीक्ष्ण/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों हेतु ₹ 328.495 लाख, 70 बड़े व 105 छोटे पशुहानि होने पर कुल ₹ 16.55 लाख तथा 08 (मृत/लापता) जनहानि होने पर कुल ₹ 40.00 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

प्रदेश के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं में हुई अनियमितता की जाँच एवं कार्रवाई

*03—श्री दलीप सिंह—

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत लघु सिंचाई की कितनी योजनाएं हैं जिनके द्वारा सुचारू रूप से सिंचाई की जा रही है एवं ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनके निर्माण में हुई अनियमितताओं की जाँच चल रही है ?

क्या अनियमितता करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, खाद्य तथा ग्राम्य विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)—

प्रदेश के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की 20349 योजनायें हैं। जिनमें से 15036 योजनाओं द्वारा सुचारू रूप से सिंचाई की जा रही है तथा 47 योजनाओं के निर्माण में अनियमितताओं की जाँच प्रचलित है।

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

04—श्री नवप्रभात—

अस्पष्टता एवं विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

प्रदेश में मनरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना

*05—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि रोजगार हेतु महत्वपूर्ण मनरेगा योजना एक ऐसी मांग आधारित योजना है जिसमें प्रदेश के प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो रोजगार चाहता हो उसे 10 दिन का रोजगार देना अत्यन्त आवश्यक है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा या राज्य सरकार की कार्य प्रणाली या कमी के कारण प्रदेश की जनता 100 दिन के रोजगार से वंचित हो रही है ?

क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करने के इच्छुक हों, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

जी नहीं।

राज्य में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के प्रारम्भ से अब तक कार्य की माँग करने वाले परिवारों एवं उसके सापेक्ष कार्य उपलब्ध कराये गए परिवारों का विवरण निम्न प्रकार है:–

वित्तीय वर्ष	कार्य की माँग करने वाले परिवार	कार्य उपलब्ध कराए गए परिवार	प्रतिशत
2006–07	134363	134312	99.96
2007–08	189263	189263	100.00
2008–09	298741	298741	100.00
2009–10	522304	522304	100.00
2010–11	542391	542391	100.00
2011–12	515919	515919	100.00
2012–13	456559	456559	100.00
2013–14 जन0 14 तक	371158	371158	100.00
योग	3030698	3030647	99.99

प्रश्न नहीं उठता।

धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2013 में आई आपदा में प्रभावितों को मृत्यु एवं क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का मुआवजा

*06–श्री महावीर सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष जून माह में हुई आपदा के दौरान जो शासनादेश मुआवजे के लिए घोषित हुए थे क्या वह शासनादेश सभी विधान सभा क्षेत्रों के लिए थे ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ने धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र में शासनादेश के मुताबिक अभी तक कितने परिवारों को मुआवजा दिया है और किस सापेक्ष में ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें मुआवजा देने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 2013 की आपदा से प्रभावितों को अहेतुक सहायता, गृह अनुदान व अनुग्रह अनुदान मद से निम्नवत् राहत सहायता का वितरण किया गया है :–

01 मृतक व 03 लापता व्यक्तियों के आश्रितों को कुल ₹ 20.00 लाख।

64 पूर्ण, 119 तीक्ष्ण व 864 आंशिक क्षतिग्रस्त भवनों के प्रभावितों को कुल ₹ 376.00 लाख।

81 बड़े व 71 छोटे पशुओं की मृत्यु होने पर प्रभावितों को कुल ₹ 18.73 लाख

354 प्रभावितों के कपड़े, बर्तन व घरेलू सामान के क्षतिग्रस्त होने पर कुल ₹ 16.60 लाख।

उक्त के अतिरिक्त 99 क्षतिग्रस्त घराटों हेतु कुल ₹ 24.75 लाख व 01 लापता/मृतक की विधवा को ₹ 25.000/– की धनराशि का भुगतान मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

07–श्री नवप्रभात–

चतुर्थ सोमवार के तारां0–15 में स्थाना0।

08–श्री नवप्रभात–

स्थगित।

धनोल्टी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 16 एवं 17 जून, 2013 की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त गूल/ नहरों की मरम्मत

*09–श्री महावीर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी टि0ग0 में गूल/नहरें 16 एवं 17 जून, 2013 की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गयी थीं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार गूल/नहरों का निर्माण करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 16 एवं 17 जून, 2013 की अतिवृष्टि से 111 गूल/नहरें क्षतिग्रस्त हो गयी थी।

जिला योजना एवं नाबार्ड मद से स्वीकृत 26 गूल/नहरें पूर्ण रूप से चला दी गयी हैं। 20 गूल/नहरें अस्थाई रूप से चला दी गयी हैं। शेष नहरों हेतु ₹ 336.39 लाख की माँग आपदा मद से की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

10–श्री पुष्कर सिंह धामी–

न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

ऋषिकेश के अन्तर्गत वर्ष 2013 में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त तटबन्धों का पुनर्निर्माण

*11–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि ऋषिकेश के अन्तर्गत गंगा में 2013 में आई बाढ़ से गंगा भोगपुर तल्ला एवं कुनाँऊ गाँव के तटबन्ध पूर्ण क्षतिग्रस्त होने के कारण गंगा नदी का पानी उपरोक्त गाँवों से भर गया था ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आगामी बरसात से पूर्व सरकार इन बाढ़ सुरक्षा के कार्यों (तटबन्धों) का निर्माण करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ। कतिपय स्थानों पर तटबन्ध क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप।

वर्तमान में गंगा भोगपुर तल्ला ग्राम की सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा ₹ 321.49 लाख एवं कुनाँऊ गाँव की सुरक्षा हेतु ₹ 45.80 लाख की योजना तैयार कर ली गयी है। वित्तीय संशाधनों की उपलब्धता एवं योजना के परीक्षणोपरान्त स्वीकृति/निर्माण किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में रई नामक स्थान पर झील का निर्माण

*12–श्री मयूख सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में रई नामक स्थान पर सिंचाई कार्य हेतु झील बनाने की योजना है ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रस्ताव को त्वरित सिंचाई योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दिया गया है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त योजना हेतु वित्त विभाग द्वारा राज्यांश जारी करने की सहमति दे दी गयी है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ। ₹ 1.438 करोड़ का राज्यांश जारी किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय जनपदों में राजस्व पुलिस उपनिरीक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती

*13–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के अधिकांश पर्वतीय जनपदों में कानून व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राजस्व उप निरीक्षकों के ऊपर है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि अधिकांश राजस्व उपनिरीक्षकों के पद रिक्त हैं ? यदि हाँ, तो कानून व्यवस्था की मजबूती हेतु राजस्व उपनिरीक्षकों की भर्ती की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

पर्वतीय जनपदों के कुछ क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राजस्व पुलिस की है। वर्तमान में इस संवर्ग में कतिपय पद रिक्त हैं, रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही तत्परता से की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

14–श्री जीतराम–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

15–श्री मदन कौशिक–

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

प्रदेश को प्रत्येक केन्द्रीय योजना में 90:10 के अनुसार धन आवंटन हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास

*16–श्री मदन कौशिक–

क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक केन्द्रीय योजना में 90:10 के अनुसार धन आवंटन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या विशेष प्रयास किये हैं ?

नियोजन एवं खेल मंत्री (श्री दिनेश अग्रवाल)–

उत्तराखण्ड राज्य को सभी केन्द्र पोषित योजनाओं में 90:10 के अनुपात में धनावंटन नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) की विभिन्न बैठकों में कई बार इस प्रकरण को उठाया गया है।

सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शंकरपुर में सिंचाई नलकूप के पुनर्निर्माण की कार्यवाही

*17–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शंकरपुर में सिंचाई नलकूप लगभग 2 वर्ष से खराब हैं, जिस कारण कृषि भूमि बंजर हो गई है और ग्रामवासी/किसान सिंचाई नलकूप लगाये जाने हेतु लगातार संघर्षरत हैं ?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र में सिंचाई नलकूप लगाएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

नलकूप अपनी निर्धारित आयु से अधिक वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप बन्द हो गया है।

नलकूप पुनर्निर्माण की एक योजना (56.07 लाख) तैयार कर ली गई है।

योजना के परीक्षणोपरान्त वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न जिलों के आपदा ग्रस्त ग्रामों को पुनर्वास हेतु समयबद्ध योजना की रिपोर्ट तैयार करना

*18–श्री मदन कौशिक–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के कितने आपदा ग्रस्त ग्रामों को पुनर्वास की आवश्यकता है ?

क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई समयबृद्ध योजना बनायी गई है ? यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश के लगभग 337 ग्रामों को आपदा की दृष्टि से संवेदनशील चिन्हित किया गया है। इन ग्रामों का भूगर्भीय सर्वेक्षण एवं तकनीकी अध्यन के उपरान्त ही पुनर्वास की आवश्यकता का निर्णय हो सकेगा।

यद्यपि इसके लिये कोई समयबद्ध योजना नहीं बनायी गयी है तथापि ऐसे ग्रामों का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराये जाने के साथ ही राज्य के प्राकृतिक आपदाओं से आसान्न संकटग्रस्त विभिन्न ग्रामों के अन्यत्र विस्थापन/पुनर्वास हेतु गठित नीति के अनुसार समस्त जिलाधिकारियों को उनके अधीन ऐसे ग्रामों/परिवारों के सम्बन्ध में कार्ययोजना/परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

19–डा0 जीतराम–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

विधायक निधि के माध्यम से जनपद अल्मोड़ा में कराये जाने वाले कार्यों के लिए धन आवंटन में विलम्ब का कारण

*20–श्री चन्दन राम दास

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड शासन ने विधायक निधि के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यों को टेंडर के द्वारा कराये जाने का निर्देश दिया है ?

यदि हाँ, तो विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों के लिए क्या गाइड लाइन बनी है ?

यदि नहीं, तो जनपद अल्मोड़ा में विधायकों द्वारा कार्यों की सूची दिये जाने के बाद भी अधिकारी कार्यदायी संस्थाओं को धन अवमुक्त करने में बिलम्ब क्यों कर रहे हैं?

क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर सरकार कार्रवाई करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 तथा इसमें समय–समय पर हुए संशोधन एवं विधायक निधि के संचालन हेतु निर्गत दिशा–निर्देश के तहत विधायक निधि के कार्य कराये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में 111, अल्मोड़ा में 159, जागेश्वर में 261, रानीखेत में 174, द्वाराहाट में 139 एवं सल्ट में 426 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसमें से क्रमशः 109, 156, 258, 163, 132 एवं 416 प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए धनराशि आवंटित कर दी गयी है। शेष अनुमन्य पाए कार्यों के लिए धनावंटन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र की प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत धरमघर–चुचेर–माजखेत मोटर मार्ग का निर्माण

01–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत धरमघर–चुचेर–माजखेत मोटर मार्ग का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अनुबन्ध के अनुसार सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है तथा क्या निर्धारित अवधि के अन्दर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, गृह, पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धरमघर–चुचेरा–माजखेत मोटर मार्ग स्वीकृत लम्बाई 15.83 कि0मी0 का स्टेज–1 का निर्माण जुलाई, 2012 में पूर्ण हो चुका है।

अनुबन्ध के अनुसार स्टेज–1 के कार्य को पूर्ण करने की तिथि 14–12–2010 थी। पी0एम0जी0एस0वाई0 के दिशा निर्देश के पैरा 8.5 (VI) के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में स्टेज–1 के पश्चात दो वर्षाकाल के बाद पहाड़ कटान स्टेबलाईज होने पर स्टेज–2 का कार्य किया जाता है। इस मार्ग हेतु स्टेज–2 के कार्यों के लिए डी0पी0आर0 गठित की जा रही है। डी0पी0आर की स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से प्राप्त होने पर स्टेज–2 का कार्य कराया जायेगा।

जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत रिखाड़ी–बाछम से किलपारा–बदियाकोट सड़क का निर्माण

02–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–बाछम से किलपारा–बदियाकोट सड़क का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अनुबन्ध के अनुसार सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है तथा क्या निर्धारित अवधि के अन्दर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के स्टेज–1 का कार्य मार्च, 2011 में पूर्ण हो चुका है।

अनुबन्ध के अनुसार स्टेज–1 के कार्य को पूर्ण करने की तिथि 27–12–2010 थी। पी0एम0जी0एस0वाई0 के दिशा निर्देश के पैरा 8.5 (VI) के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में स्टेज–1 के पश्चात् दो वर्षाकाल के बाद पहाड़ कटान स्टेबलाईज होने पर स्टेज–2 का कार्य किया जाता है। इस मार्ग हेतु स्टेज–2 का कार्य फेज–11 में स्वीकृत है, जिसके निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया गतिमान है तथा शीघ्र ही स्टेज–2 का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें चौरा–भैरूचौपट्टा का मिलान मिसिंग लिंक के तहत गैराड़–बिलखेत होते हुए मुख्य सड़क की योजना

03–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें चौरा–भैरूचौपट्टा का मिलान मिसिंग लिंक के तिहत गैराड़–बिलखेत होते हुए मुख्य सड़क में मिलान की कोई कार्य योजना है ?

क्या उक्त गाँव कोर नेटवर्किंग के तहत चयनित है ? यदि हाँ, तो कब तक जनहित में उक्त सड़क का मिलान कोर नेटवर्किंग के तहत मुख्य सड़क से जुड़ जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

चौरा से भैरू मार्ग पी0एम0जी0एस0 वाई0 में निर्माणाधीन है तथा ग्राम गैराड़ एवं बिलखेत, लो0नि0वि0 द्वारा निर्मित मार्ग बागेश्वर–बेरीनाग मार्ग के कलना बैंड से पंतखोला होते हुए गैराड़ बिलखेत मोटर मार्ग से जुड़े हैं। बिलखेत एवं भैरूचौपट्टा ग्रामों को आपस में मोटर मार्ग से जोड़ना पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानकों के अनुसार नहीं है, क्योंकि भैरूचौपट्टा, गैराड़ एवं बिलखेत ग्राम संयोजित हो चुके हैं।

बागेश्वर जनपद के कपकोट विधान सभा क्षेत्र में उतरौंडा–लीली मोटर मार्ग निर्माण में क्षतिग्रस्त ग्राम पोलिंग सिंचाई नहर का पुनर्निर्माण

04–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर जनपद के कपकोट विधान सभा क्षेत्र में उतरौंडा–लीली मोटर मार्ग जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्ग बनाने के कारण ग्राम पोलिंग सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त हो गयी है?

क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम के कुल खेती के लगभग 80 प्रतिशत भाग में इसी क्षतिगस्त नहर् के सिंचाई होती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त नहर को अविलम्ब बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

क्षतिग्रस्त नहर के पुनर्निर्माण हेतु रु0 42.65 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।

जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से पूर्ति निरीक्षकों की नियुक्ति

05–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 7 खाद्यान्न गोदामों के ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल मार्ग से उगिया, बदियाकोट, खाती, वाछम, तलाई, बघर, मल्खडुगर्चा से राशन ले जाया जाता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन गोदामों में सहायक खाद्यान्न निरीक्षकों की तैनाती हेतु विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

जी हाँ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागान्तर्गत, लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 62 पूर्ति निरीक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही गतिमान है, जिनमें से 33 पूर्ति निरीक्षकों को विभिन्न जनपदों में नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गई है। जनपद बागेश्वर में 06 पूर्ति निरीक्षकों को नियुक्ति/तैनात किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में सस्ते गल्ले की दुकानों से सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को मिट्टी के तेल का वितरण

06–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में किस श्रेणी के राशन कार्ड धारक को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के माध्यम से मिट्टी तेल वितरित किया जाता है और कितना ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दुकान के डीलर को कार्ड धारकों की संख्या के अनुपात से सरकारी गोदाम से पर्याप्त मात्रा में मिट्टी तेल मिल पा रहा है जिससे सभी सम्बन्धित कार्ड धारकों को मिट्टी तेल मिल सके ?

श्री प्रीतम सिंह–

राज्य के किसी श्रेणी के कार्ड धारक, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के माध्यम से, वर्तमान में, पर्वतीय क्षेत्र में 07 ली0 प्रति राशन कार्ड एवं मैदानी क्षेत्र में 05 ली0 प्रति राशन कार्ड मिट्टी तेल वितरित किया जाता है।

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा राज्य को आवश्यकता के अनुरूप मिट्टी तेल का आवंटन न किये जाने के कारण, समस्त राशन कार्डधारकों को पर्याप्त मात्रा में मिट्टी तेल वितरित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उत्तराखण्ड राज्य में पंचायती राज्य एक्ट का निर्माण

07–श्री विक्रम सिंह नेगी–

क्या पंचायती राज्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार उत्तराखण्ड पंचायतीराज एक्ट बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार पंचायतों को 29 विभाग सौंपने जा रही है ?

यदि हाँ, तो अब तक कौन कौन से विभाग पंचायतों को सौंपे गये हैं तथा कितने सौंपे जाने बाकी हैं ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ,

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यवाही विचाराधीन है।

अब तक पंचायतों को 14 विभाग क्रमशः पेयजल, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघु सिंचाई तथा कृषि (जलागम) सौंपे गये हैं तथा शेष 15 सौंपे जाने बाकी हैं।

जनपद देहरादून के डाकपत्थर में स्थित सिंचाई विभाग के चिकित्सालय को स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरण

08–श्री नवप्रभात–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के डाकपत्थर में स्थित सिंचाई विभाग चिकित्सालय को स्वास्थ्य, विभाग द्वारा हस्तांतरित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो इस विषय में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्ताव चिकित्सा विभाग को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु सन्दर्भित किया जा चुका है।

जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा के पास सरयू नदी के किनारे क्षतिग्रस्त क्षेत्र का पुनर्निर्माण

09–श्री चन्दनराम दास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा के पास सरयू नदी के किनारे क्षतिग्रस्त इलाके में टूटफूट व नदी के कटाव से हुई क्षति का पुनः निर्माण करने के लिए सरकार कोई ठोस योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

सरयू नदी से मण्डलसेरा व आदि ग्रामों की सुरक्षा हेतु सिंचाई विभाग द्वारा एक योजना, लागत ₹ 1023.55 लाख तैयार कर ली गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

10–डा0 जीतराम–

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

11–डा0 जीतराम–

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी अन्तर्गत अलमस के साटागाड़ नामक तोक में नलकूप का निर्माण

12–श्री महावीर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत अलमस के साटागाड़ नामक तोक में सरकार नलकूप लगाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण नलकूप निर्माण व्यवहारिक नहीं है।

राज्य गठन के उपरान्त किसी तहसील का नाम परिवर्तन हेतु भारत सरकार को भेजे गये प्रस्ताव का विवरण

13–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की किसी तहसील का नाम क्षेत्रीय जनता के आग्रह पर देश की आजादी में शहादत देने वाले स्वतन्त्रता संग्राम

सेनानी के नाम से करने पर सरकार विचार करेंगी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि नाम परिवर्तन हेतु भारत सरकार के अनुमोदन की भी आवश्यकता होगी ? यदि हाँ, तो प्रदेश सरकार द्वारा राज्य गठन के पश्चात् आज समय तक इस प्रकार के कितने प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं तथा उनका विवरण क्या है ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ। राज्य गठन के उपरान्त तहसील का नाम परिवर्तन करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, किन्तु भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इस हेतु भारत सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर में लांघा–मटोगी मोटर मार्ग की प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति

14–श्री नवप्रभात–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून की तहसील विकास खण्ड विकासनगर में लांघ–मटोगी मोटर मार्ग प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था ?

यदि हाँ, तो किस वर्ष में ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उस समय के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रावधानों में सड़क निर्माण तथा रख–रखाव के क्या निर्देश थे तथा इस सड़क के डामरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

वर्ष 2004 में स्टेज–1 का कार्य तथा वर्ष 2013 में स्टेज–2 का कार्य स्वीकृत हुआ था।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइड लाईन के अनुसार मोटर मार्ग के स्टेज–1 का कार्य पूर्ण होने के दो वर्षाकाल के पश्चात् स्टेज–2 का कार्य स्वीकृत कराकर पक्कीकरण किये जाने तथा पाँच वर्षों तक अनुरक्षण/रखरखाव का कार्य किये जाने का प्राविधान है। अनुबन्ध के अनुसार डामरीकरण का कार्य दिनांक 11–06–2014 तक पूर्ण किया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी अन्तर्गत थत्यूड़ बाजार में बाढ़ सुरक्षा कार्य का प्रारम्भ

15—श्री महावीर सिंह—

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत थत्यूड़ बाजार में नदी में बाढ़ सुरक्षा का कार्य स्वीकृत है ?

यदि हाँ, तो इसमें सरकार कार्य प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य—

विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत थत्यूड़ बाजार एवं भवान की बाढ़ से सुरक्षा हेतु एक योजना ₹1415.89 लाख स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गयी है, जिस पर वित्तीय स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र में पड़िया, पाचरी एवं सेमण्डीधार में मिनी स्टेडियमों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति

16—श्री विक्रम सिंह नेगी—

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में क्रीड़ा स्थल न होने के कारण क्षेत्र के नौजवान सड़कों पर क्रिकेट, वॉलीबॉल, दौड़ आदि अन्य खेल खेलते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उत्तराखण्ड के 670 न्याय पंचायतों में एक—एक मिनी स्टेडियमों का निर्माण करेगी ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र में पड़िया, पाचरी एवं सेमण्डीधार में मिनी स्टेडियमों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्य हेतु धनराशि निर्गत की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी नहीं।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जी हाँ।

उक्त मिनी स्टेडियमों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने की कार्रवाई विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण

17–श्री मयूख सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार किन–किन कार्यों हेतु भूमि अधिगृहित कर सकती है ?

क्या अधिग्रहण के उपरान्त उक्त क्षेत्र में स्थित पैमाईशी रास्तों, मन्दिरों एवं अन्य पूर्व निर्मित सार्वजनिक योजनाओं को बन्द कर दिया जाता है ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त क्षेत्र की जनता के लिए उक्त कार्यों हेतु सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

भारत सरकार के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–2 के अनुसार सरकार स्वयं के उपयोग, लोक प्रयोजन के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के लिए, सार्वजनिक–निजी सहभागिता योजनाओं के लिए व निजी कम्पनियों के लिए यदि वह लोक प्रयोजन के लिए हो, के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है।

जी हाँ।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के प्राविधान उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड राज्य में ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम प्रहरियों को वेतन देने पर विचार

18–श्री भीम लाल आर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य की ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम प्रहरियों को वेतन प्रदान करने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं।

राजस्व पुलिस के सहायतार्थ ग्राम सभा स्तर पर रखे गये ग्राम प्रहरियों को प्रतिमाह मानदेय रु0 500/– दिया जाता है।

प्रदेश में वर्ष 2012–13 में विभाग द्वारा स्वीकृत बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की लागत तथा जनपदवार विवरण

19–श्री नवप्रभात–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभाग द्वारा प्रदेश में कितनी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई तथा उनकी लागत क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन स्वीकृत योजनाओं का जनपदवार विवरण क्या है ?

श्री यशपाल आर्य–

वित्तीय वर्ष 2012–13 में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 65 सं0 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई, जिनकी लागत ₹ 12844.58 लाख है।

जनपदवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	जनपद का नाम	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	योजनाओं की लागत (लाख ₹ में)
1	2	3	4
1.	ऊधमसिंह नगर	16	2017.91
2.	नैनीताल	04	679.99

1	2	3	4
3.	बागेश्वर	01	39.79
4.	रुद्रप्रयाग	05	430.30
5.	पौड़ी	03	590.50
6.	चमोली	05	707.06
7.	हरिद्वार	01	141.90
8.	देहरादून	15	2803.30
9.	उत्तरकाशी	15.	5433.83
	कुल योग	65	12844.58

उत्तराखण्ड के ग्राम विकास अभिकरण के कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाना

20–श्री महावीर सिंह–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के ग्राम विकास अभिकरण डी0आर0डी0ए0 के कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने की योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

दिनांक 14 दिसम्बर, 2013 को सम्पन्न मा0 मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में राज्य के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में तैनात नियमित कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागेश्वर में आई आपदा की क्षतिपूर्ति हेतु धनराशि का आवंटन

21–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि बागेश्वर जनपद में आई आपदा से हुये नुकसान को पुनः निर्माण व क्षतिपूर्ति हेतु जिला प्रशासन द्वारा शासन को प्रेषित 42 करोड़ रुपये की धनराशि के प्रस्तावों के सापेक्ष जनपद को मात्र 6 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है ? यदि हाँ, तो मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर को शेष धनराशि कब तक आवंटित की जाएगी।

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा शासन से ₹ 20.00 करोड़ की धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2013–14 में वर्तमान तक विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु ₹ 16.41 करोड़, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत सहायता वितरण हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान एवं कृषि इनपुट सब्सिडी मद के अन्तर्गत ₹ 3.75 करोंड़ एवं पेयजल आपूर्ति मद में ₹ 25.00 लाख। इस प्रकार कुल ₹ 28.41 करोड़ (₹ अट्ठाइस करोड़ इक्तालीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम–लेलू में स्वीकृत स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण

22–श्री मयूख सिंह–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ जनपद हेतु स्पोर्ट्स कॉलेज की स्वीकृति के उपरान्त शासनादेश जारी किया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्य हेतु ग्राम लेलू में भूमि उपलब्ध हो चुकी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि खेल विभाग जारी शासनादेश के परिपेक्ष्य में पिथौरागढ़ जनपद हेतु स्वीकृत स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

उपलब्ध भूमि में स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण हेतु मानचित्र/प्राक्कलन आदि तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत नन्दकेसरी जोला मोटर मार्ग को पंतनगर, जडेरा, बैनाली, थराली जिला चमोली गाँव तक जोड़ने पर विचार

23–डा0 जीतराम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत नन्दकेसरी जोला मोटर मार्ग को पंतनगर, जडेरा, बैनाली थराली जिला चमोली गाँव तक जोड़ने हेतु विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

नन्दकेसरी–ग्वालदम मार्ग के कि0मी0–01 से जौला मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज–7 में निर्मित किया गया है। इस मार्ग को पंतनगर, जडेरा, बैनोली, थराली गाँव तक जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि ग्राम बैनोली, थराली पूर्व में अल्मोड़ा बैजनाथ–ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग से संयोजित है, तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सिंगल कनैक्टिविटी दिये जाने का ही प्राविधान है। पंतनगर एवं जडेरा गाँव वर्ष 2001 की जनगणना एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 के कोर नेटवर्क में नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

24–डा0 जीतराम–

तृतीय मंगल के अतारां0–11 में स्थाना0।

जनपद बागेश्वर जिला मुख्यालय के लिए खेल स्टेडियम के निर्माण की कार्यवाही

25–श्री चन्दनराम दास–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर जिला मुख्यालय के लिये खेल स्टेडियम स्वीकृत है ?

यदि हाँ, तो उक्त स्टेडियम के निर्माण की क्या कार्रवाई हो रही है ?

उक्त स्टेडियम के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है तथा इसका विवरण क्या है ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी नहीं।

जनपद बागेश्वर मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण हेतु मानकानुसार भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

उक्त वर्णित स्टेडियम के निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में गंगा प्राधिकरण की भाँति यमुना प्राधिकरण बनाने सम्बन्धी

26–श्री मालचन्द–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सरकार गंगा प्राधिकरण के अनुसार यमुना प्राधिकरण बनायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं। सिंचाई विभाग के अन्तर्गत यमुना प्राधिकरण बनाये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पर्वतीय गाँवों के सूखे चारे के रख–रखाव की उचित व्यवस्था

27–श्री मालचन्द–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगाँव, पुरोला, मोरी में क्षेत्रीय ग्रामीण शरद ऋतु में पशुओं तथा भेड़ बकरियों के वास्ते सूखे पशु चारे व घास भूस का संरक्षण कर घरों में सुरक्षित रखते हैं जो आगजनी की दृष्टि से बहुत विनाशकारी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सूखे पशु चारे व घास भूस के रख–रखाव के लिये पर्वतीय क्षेत्र में अन्य कोई उचित व्यवस्था करेगी जिससे घर एवं गाँवों को सुरक्षित रखा जा सके ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर संगत योजनाओं के अन्तर्गत सम्यक् विचार नियमानुसार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के गरुड़ में बैजनाथ झील का निर्माण

28—श्री चन्दन राम दास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के गरुड़ में बैजनाथ झील का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा तथा इस पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च हो गयी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निर्माणाधीन झील से किन–किन नहरों के जरिये कितने हैक्टेयर भूमि सिंचित किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री यशपाल आर्य—

जनपद बागेश्वर के गरुड़ में बैजनाथ झील का कार्य दिनांक 31–03–2015 तक पूर्ण होना सम्भावित है। झील के निर्माण में अब तक ₹ 1128.30 लाख का व्यय हो चुका है।

झील निर्मित हो जाने के पश्चात् 08 संख्या नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाया जा सकेगा। झील से 06 संख्या नहरें एवं 04 संख्या पम्प योजनाओं से 166 हैक्टेयर वार्षिक सींच पुनर्सृजित होगी।

जनपद बागेश्वर जिले के विकास खण्ड गरुड़ में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों की मरम्मत

29—श्री चन्दन राम दास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के जिले के विकास खण्ड गरुड़ में सिंचाई की कितनी नहरें संचालित हैं तथा संचालित नहरों में कितनी नहरें बन्द हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितनी नहरों में सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा है ?

श्री यशपाल आर्य—

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ में सिंचाई की कुल 53 नहरें हैं, जिनमें से 13 संख्या नहरें बन्द हैं।

बन्द नहरों में से 06 संख्या नहरों के क्षतिग्रस्त भाग में दैवीय आपदा मद से नहरों को सुचारू करने हेतु मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

30—श्री दलीप सिंह रावत—

चतुर्थ सोमवार के अता0–27 में स्थाना0।

जनपद बागेश्वर में वर्ष 2013 में आपदा प्रबन्धन हेतु आवंटित धनराशि विकास खण्डवार आपदा राशि के आवंटन का विवरण

31–श्री चन्दन राम दास–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में वर्ष 2013 में आपदा प्रबन्धन हेतु कितनी धनराशि आवंटित हुई ?

क्या मंत्री जी आवंटित धनराशि में सभी मदों में जनपद की विकास खण्डवार आवंटित धनराशि का विवरण देने का कष्ट करेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि आवंटित धनराशि विधान सभावार वितरित की गई है ?

यदि हाँ, तो कितनी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद बागेश्वर को वित्तीय वर्ष 2013–14 में आपदा प्रबन्धन विभाग की मद से कुल ₹ 28.91 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है।

विकास खण्डवार प्रभावित परिवारों को वितरित धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–

विकास खण्ड बागेश्वर को 393 परिवारों को ₹ 92,16,744/– कपकोट के 621 परिवारों को ₹ 1,11,93,893/– तथा गरुड़ के 142 परिवारों को ₹ 74,65,102/– वितरित किये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

विकास खण्ड बागेश्वर की 39 योजनाओं हेतु ₹ 1,40,44,000/– कपकोट की 99 योजनाओं हेतु ₹ 4,69,99,000/– तथा गरुड़ की 66 योजनाओं हेतु ₹ 2,43,84.000/– इस प्रकार वर्तमान तक जनपद बागेश्वर के सभी विकास खण्डों हेतु कुल ₹ 11,33,02,739/– की धनराशि वितरित की गई है। विधान सभावार धनराशि वितरित करने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

32–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

स्थगित।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नियमित मिट्टी के तेल का वितरण न होना

33–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रिखणीखाल एवं नैनीडांडा में नियमित मिट्टी तेल आपूर्ति न होने क्या कारण हैं ?

क्या विभाग की लापरवाही इसका कारण है?

यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रिखणीखाल एवं नैनीडांडा में मिट्टी तेल की नियमित आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत अतिवृष्टि/आपदा से ग्रसित ग्रामों का विस्थापन

34–श्री मालचन्द–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत अतिवृष्टि/आपदा से ग्रसित ग्रामों कलाप, नुराणु, बिगराड़ी, सरबडियार, ओसला, पावणी, गंगाड़, ढाटमीर, सरबडियार का विस्थापन कब तक किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

ग्राम कलाप, ओसला, पावणी, गंगाड़, ढाटमीर, गोविन्द पशु बिहार पुरोला सेंचुरी क्षेत्र के अन्तर्गत है, जिनमें वर्षाकाल में सम्पर्क मार्ग, पुल, पुलिया क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनकी मरम्मत/पुनर्निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम नुराणू में भूस्खलन के दृष्टिगत आबादी को गाँव के पांवा तोल में विस्थापन हेतु भूमि का चयन किया गया है।

ग्राम विगराड़ी के 20 परिवारों को भूस्खलन की सम्भावना के दृष्टिगत ग्राम विगराड़ी मध्ये राज्य सरकार की भूमि चयनित की गई है जिसका भू–गर्भीय सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

सरबडियार क्षेत्र के ग्राम गोल, छानिका, पौन्टी में विगत वर्षों से बाडियार गाड़ और कमेड़ा खड्ड के कटाव व भूस्खलन के दृष्टिगत भू–गर्भीय सर्वेक्षण कराया गया। भू–गर्भीय सर्वेक्षणोपरान्त राज्य में पुनर्वास नीति से आच्छादित होने वाले प्रभावित ग्रामों/परिवारों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन विस्थापित/पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बागेश्वर जिले में विगत 3 वर्षों से विभिन्न वित्त पोषित योजना

35–श्री चन्दन राम दास–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर जिले में विगत 3 वर्षों में कितने लोगों को विभिन्न वित्त पोषित योजनाओं में लाभान्वित किया गया है ?

क्या मंत्री जी बताएंगे कि धनराशि आवंटन का विवरण एवं समय–समय पर वित्त पोषित एवं आच्छादित यूनिटों का समय–समय पर विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है ?

यदि हाँ, तो कितनी बार ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में वर्तमान में कोई वित्त पोषित योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

36–श्री चन्दन राम दास–

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

जनपद नैनीताल के ग्राम सभा भूमियाधार तोक खूपी में वर्ष 2010 तथा 2013 के आपदा ग्रस्त क्षेत्रवासियों का विस्थापन

37–श्रीमती सरिता आर्या–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के ग्राम सभा भूमियाधार तोक खूपी जिला नैनीताल में 2010 तथा 2013 में जो आपदा आई उससे क्षेत्रवासियों को भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा क्षेत्रवासियों के विस्थापन हेतु कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जिला नैनीताल के ग्राम कुरियागाँव, ग्राम सभा भूमियाधार तोक खूपी में वर्ष 2010 व 2013 में नदी कटाव, भूधंसाव एवं भूस्खलन से मकानों एवं भूमि की क्षति हुई थी।

प्रभावित परिवार, जो पुनर्वास नीति से आच्छादित होंगे, के विस्थापन हेतु भूमि की उपलब्धता का परीक्षण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड में मिनी स्टेडियम सम्बन्धी

38–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में सरकार द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड में मिनी स्टेडियम बनाये जाने की योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड में मिनी स्टेडियम निर्माण किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सदन की कार्यवाही 12:20 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नियम–310 के अन्तर्गत मा0 सदस्यों द्वारा दी गई सूचना पर पुनः चर्चा कराये जाने की मांग

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, हमने नियम–310 में सूचना दी है। क्योंकि यह पूरे प्रदेश का मामला है और कोई छोटा–मोटा मामला नहीं हैं। मैंने कहा भी, यह करप्ट प्रैक्टिस में आता है। जिसका एक्ट भी मैंने कोट किया हुआ है "दि रिप्रेजेंटेशन ऑफ दि पीपुल्स एक्ट, 1951" यह पूरे प्रदेश और सरकार के लिए भी उचित होगा। क्योंकि कोई बात कहीं पर आयी है और हमने आंकड़ों के एवं पत्रों के आधार पर कोई बात उठाई है। जो हमारे पास भी प्रूफ है। आप इस आधार पर नियम–310 में चर्चा कर लें। अगर कोई बात नहीं है तो सदन में वह बात साफ भी हो जायेगी और पूरे प्रदेश में कोई गलत मैसेज भी नहीं जायेगा। अगर सरकार पर ब्लेम लग रहा है तो वह ब्लेम भी हट जायेगा। जब इतने बड़े प्रमाण हैं। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, मैंने पहले ही निर्णय दिया है कि इस सूचना को नियम–58 की ग्राहयता पर सुन लिया जायेगा। (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो पूरे प्रदेश का मामला है, अभी यह केवल देहरादून जिले का मामला है, जो 04 करोड़ 13 लाख 84 हजार रुपये का है और सारे लोगों को 425 रुपये बांटे गये हैं और इसमें सभी फर्जी हैं। अगर देख लिया जाय तो उसमें सब्सिडी ले ली गयी है। (माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट सहित भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हुआ।) (व्यवधान के मध्य) और वह सब्सिडी एक साल में वापस हो गयी। अगर कोई किसान जिसने लोन लिया हो, क्या वह एक साल में वापस कर सकता है? (व्यवधान के मध्य)

*श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, यदि कर्ज होता तो आदमी कर्ज ले सकता है कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसमें सरकार का पचास प्रतिशत पैसा है यानी सरकार सब्सिडी दे रही है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में व्यवधान उत्पन्न हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सारी बात नियम–58 में आ जायेगी और उसमें सरकार का जवाब भी आ जायेगा और उसमें जो सम्भव होगा तो कोशिश करेंगे कि उसमें सही निर्णय हो। (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का मामला है। इसमें तो सी0बी0आई0 इन्क्वायरी होनी चाहिए। जब देहरादून जिले की इतनी बड़ी धनराशि निकल गयी है तो 13 जिलों में वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 इन दोनों बजट में जो पैसा आया है। वह किस तरह आया है और किस तरह से दुरुपयोग हुआ है तो वह सारी बात खुल जायेगी। क्योंकि प्रदेश भी इस बात को जानना चाहता है? मान्यवर, अगर यह डॉक्यूमेंट गलत है या हमने गलत दिया है। आप जो भी कहेंगे, आपका आदेश सिर माथे पर। क्योंकि ये सारी चीजें ऑन रिकार्ड हैं। (घोर व्यवधान के मध्य)

नियम– 300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री माल चन्द, श्री ललित फर्स्वाण, श्री मदन कौशिक, श्री संजय गुप्ता, श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल, श्री प्रेम सिंह राणा, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री यतीश्वरानन्द, श्री महावीर सिंह रांगड़, श्री चन्दन राम दास तथा श्री दान सिंह भण्डारी की कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री ललित फर्स्वाण, श्री मदन कौशिक, श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल, श्री प्रेम सिंह राणा, श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री दान सिंह भण्डारी की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

विधान सभा क्षेत्र सल्ट के स्यालदे नामक स्थान पर वर्षों से स्वीकृत मिनी स्टेडियम न बन पाने के कारण व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

[मान्यवर, मेरी विधान सभा सल्ट के स्याल्दे नामक स्थान पर मिनी स्टेडियम की स्वीकृति वर्ष 2010–11 में ही प्राप्त हो चुकी थी, पदों की स्वीकृति के साथ ही देख–रेख करने की भी व्यवस्था की गई थी। परन्तु 3 वर्ष से भी अधिक का समय बीत जाने के पश्चात् भी स्टेडियम निर्माण करने की कोई भी कार्यवाही न होने से समस्त क्षेत्रीय जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है और उनमें भारी रोष है, जो कभी भी एक बड़े आन्दोलन का रूप ले सकता है।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए, शीघ्र स्टेडियम निर्माण की माँग करता हूँ।]

जनपद चम्पावत के सिल्थाम स्थित सुभाष बेकरी के सामने मकानों के ऊपर से गुजर रही हाईटेन्शन बिजली के तारों से उत्पन्न खतरों के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ललित फर्स्वाण–

[महोदय जनपद चम्पावत के सिल्थाम स्थित सुभाष बेकरी के सामने हाईटेन्शन बिजली की तारें मकानों के ऊपर से होकर गुजर रही हैं तथा काफी नीचे झूल रही हैं। बिजली की तारों से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिजली के हाईटैन्शन लाइन होने से यह खतरे के निशान से नीचे है जिससे क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त है। विभाग के अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी आतिथि तक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है। जनहित में हाईटैन्शन लाइन को मकानों के आस–पास से हटवाया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः मैं सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करते हुए अविलम्बनीय लोक महत्व हेतु प्रभावी कार्रवाई करने की माँग करता हूँ।]

प्रदेश में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के सापेक्ष पदों की विज्ञप्ति जारी होने से बेरोजगारी बढ़ने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन कौशिक–

[मान्यवर, प्रदेश में शासन द्वारा कई विभागों में कार्मिकों को संविदा पर रखा गया है किन्तु दूसरी तरफ सरकार द्वारा संविदा पर कार्यरत् पदों के विरुद्ध विज्ञप्ति जारी की जा रही है जिससे कई लोगों को फिर से बेरोजगार होने का डर सता रहा है। ऐसे कार्मिकों को संविदा पर अपने–अपने विभागों में कार्य करते हुए कई वर्ष हो चुके हैं तथा कई लोग सरकारी नौकरी की निर्धारित आयु सीमा को भी पार कर चुके हैं तथा वह अन्यत्र नौकरी के लिए आवेदन करने से भी वंचित हो गये हैं। इसी तरह शासन द्वारा रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला उत्तराखण्ड, जिला ऊधमसिंह नगर में शासनादेश संख्याः 288/XXXvii-2–2006–191/2004, दिनांक 01–03–2006 द्वारा कनिष्ठ विश्लेषणशाला (वेतनमान 5200–20200,ग्रेड पे–2800) के 12 पद सृजित किये गये थे। उक्त पदों पर शासनादेश संख्याः 910/XXXvii-3–2010–133/2007, टी0सी0 दिनांक 20.10.2010 के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियत मानदेय रू0 9000/– (रुपये नौ हजार) प्रतिमाह पर महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा गठित चयन समिति द्वारा जुलाई 2011 में 07 लोगों को कनिष्ठ

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्लेषक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी। उक्त 07 कनिष्ठ विश्लेषक लगभग 03 वर्षों से न्यून मानदेय पर विषम परिस्थितियों में सत्यनिष्ठा एवं पूर्ण लगन के साथ बहुमूल्य आधुनिक मशीनों/उपकरणों का प्रचालन कर खाद्य एवं औषधि नमूनों का परीक्षण कार्य संपादित कर रहे हैं किन्तु शासन द्वारा उक्त पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि में रखते हुए उन पदों पर नियुक्ति का अधियाचन आयोग को प्रेषित कर दिया गया है तथा दिनांक 19–10–2012 को उक्त पदों पर आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन भी मांगे गये हैं जबकि आज की तिथि में 2800 ग्रेड पे का कोई भी पद लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं रखा गया है, इसके बावजूद लोक सेवा आयोग से उक्त पदों पर की जा रही नियुक्ति बिलकुल गलत है। इससे स्पष्ट है कि उक्त पद पर यदि अन्य लोगों को नियुक्ति दे दी जाती है तो वर्षों से संविदा पर कार्यरत कार्मिक स्वतः ही नौकरी से बाहर हो जायेंगे जिससे उनके सामने रोजी–रोटी का संकट उत्पन्न हो जायेगा। ऐसा करके शासन द्वारा सरासर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगभग 03–04 वर्ष की सेवा के उपरान्त कार्मिकों को पद से हटाना तथा संविदा पर पद भरे होने के बावजूद उन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ करना संविदा पर रखे गये कार्मिकों के साथ धोखा एवं भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाता है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः उक्त अविलम्बनीय तात्कालिक लोक महत्व के इस विषय पर नियम 300 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में आई0डी0पी0एल0 टाउनशिप वासियों को घरेलू दरों के स्थान पर कमर्शियल दरों पर विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

[मान्यवर, आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जहाँ उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन के ओम्बड्समेन के दिनांक 09–10–2012 के आदेश संख्या 2056/ओम्बड्समेर/Repres No.11/2012 दिनांक 09–10–2012 के विपरीत आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश के निवासियों को विद्युत आपूर्ति घरेलू दरों के स्थान पर कामर्शियल दरों पर दी जा रही है, जिस कारण आई0डी0पी0एल0 के कॉलोनी वासियों में भारी रोष व्याप्त है, जबकि इससे पूर्व घरेलू दरों पर विद्युतापूर्ति हो रही थी। महोदय इस मांग को लेकर मा0 मुख्यमंत्री हरीश रावत जी स्वयं भी सांसद के रूप में घरेलू दरों से विद्युत आपूर्ति हेतु प्रयासरत् रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन से प्रभावी कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विडौरा में छमीपाथ शाही गुरुद्वारा एवं ग्राम पंचायत भरौनी के ग्राम लामाखेड़ा के पास खखरा नाला में पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम सिंह–

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विडौरा में छमीपाथ शाही गुरुद्वारा के पास खखरा नाला में पुल का निर्माण एवं ग्राम पंचायत भरौनी के ग्राम लामाखेड़ा के पास खखरा नाला में पुल के निर्माण हेतु कई वर्षों से लगातार जनता की मांग चली आ रही है और कई बार लोक निर्माण विभाग खटीमा द्वारा आगणन तैयार किया गया है। लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बरसात के दिनों में बाढ़ के कारण आवागमन बन्द हो जाता है। जनता आन्दोलित है।

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम घिस्सूपुर एवं धनपुरा में मकानों के ऊपर से गुजर रही हाईटेन्शन बिजली के तारों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यतीश्वरानन्द–

[मान्यवर, मेरी विधान सभा हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम घिस्सूपुर एवं धनपुरा में 11 हजार के0वी0 विद्युत लाइन सैकड़ों घरों के ऊपर से होकर गुजर रही है, जिससे कई बार बड़ी–बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। यहाँ तक कि लोग अपने मकानों की छत पर भी नहीं जा पा रहे हैं और ना ही अपने मकानों पर दूसरी मंजिल के मकान का निर्माण कर पा रहे हैं। चाहे सर्दी का समय या गर्मी का, मकानों के अन्दर ही रहने के लिये विवश होना पड़ता है।

अधिकांश व्यक्ति गरीब मजदूर हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जनहित में यह विद्युत तार मकानों के ऊपर से हटवाये जाने अति आवश्यक हैं, इस पर मैं प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत स्थित फल पट्टी के किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादन क्षेत्र में ही पैकिंग बाक्स फैक्ट्री स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दान सिंह भण्डारी–

[मान्यवर, मेरी विधान सभा भीमताल के अन्तर्गत फल–पट्टी होने के कारण किसानों की आजीविका का सहारा एक मात्र फल एवं साक सब्जी होने के कारण किसानों

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का गुजारा इससे होता है। किन्तु फलों को बाजार तक पहुँचाने के लिए बारदाना बाहर से लाना पड़ता है, जो किसानों के लिए काफी मंहगा पड़ता है। इस स्थिति में उचित होगा की फल, उत्पादित क्षेत्र में ही पैकिंग बाक्स की फैक्ट्री लगायी जाय ताकि किसानों को उचित मूल्य पर पैकिंग बाक्स उपलब्ध हो सकें।

मगर किसानों द्वारा बार–बार फल उत्पादित क्षेत्र के लिए पैकिंग बाक्स मेरी विधान सभा में ही खोले जाने कि मांग की जाती है ताकि किसानों को उचित दाम पर पैकिंग बाक्स उपलब्ध हो सकें तथा वहीं फैक्ट्री खोलने से बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा।

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2012–13 का वार्षिक लेखा विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2012–13 का वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोड़ू में प्राकृतिक जलस्रोत के साथ पानी का भण्डारण किये जाने हेतु टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*डा0 जीत राम–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोड़ू में प्राकृतिक जलस्रोत के साथ पानी का भण्डारण किये जाने हेतु टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती कृष्णा देवी, निवासी–ग्राम गगोड़ू, पो0 घोलतीर, जनपद–रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री राजकुमार का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2013 एवं 20 जनवरी, 2014 को नियम–65 में दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर विनिश्चय दिये जाने की मांग

*कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–65 के अन्तर्गत मेरे द्वारा दो सूचना आपको प्रेषित की गई हैं, पहली सूचना 18 नवम्बर को दी गई और दूसरी सूचना 20 जनवरी को मेरे द्वारा दी गई, जिस पर सदन में कार्यवाही हुई है, जिसमें 3 सप्ताह का समय आपने जाँच के लिए आवंटित किया था, जिसमें 4 सप्ताह का समय हो गया है, इसलिए कृपया पीठ से इसका विनिश्चय देने का कष्ट करें, कि इसमें अग्रिम कार्यवाही क्या होगी।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसका परीक्षण करा लूँगा।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, इसमें कोई समयावधि के लिए आप आदेश जारी कर दें, क्योंकि यह जनहित से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करवा लेंगे।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, यह 18 नवम्बर या 20 जनवरी वाले के लिए आपका विनिश्चय है।

श्री अध्यक्ष–

उसका परीक्षण जल्द से जल्द करा लिया जायेगा।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, पुलिस उपाधीक्षक वाले का।

श्री अध्यक्ष–

जी हाँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिनांक 6 फरवरी, 2014 के उपवेशन में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर मा0 अध्यक्ष का विनिश्चय

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 6 फरवरी, 2014 के उपवेशन के दौरान मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक ने संविधान के अनुच्छेद 174 का उल्लेख करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम–14 में वर्णित तीन सत्र– आय–व्ययक सत्र, वर्षाकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र की व्यवस्था के अनुसार इस वर्ष चूँकि आय–व्ययक वर्तमान सत्र में ही ले लिया गया है तो आय–व्ययक सत्र अलग से न आने के कारण मा0 सदस्यों को प्रश्न, ध्यानाकर्षण, प्रस्ताव, संकल्प, विधेयक आदि के माध्यम से अपनी बात उठाने के अवसर नहीं मिल पाएंगे। इस सम्बन्ध में संविधान के अनुसार अनुच्छेद 174 में व्यवस्था है ?

"(1) राज्यपाल, समय–समय पर, राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा।

(2) राज्यपाल समय–समय पर–

(क) सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा

(ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा"

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम–14 के अनुसार, "अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन अर्थात आय–व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 60 दिन के उपवेशन होंगे। विधान सभा के सत्रों तथा उपवेशनों की अवधि विधायी कार्य की आवश्यकता एवं परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। इन सत्रों के उपवेशनों में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा नियमावली के नियम–212 में वर्णित कार्यमंत्रणा समिति द्वारा बनायी जाती है। इसके अन्तर्गत सभी दलों के परामर्श से इस प्रकार सत्रों के कार्यक्रम बनाये जाते हैं कि मा0 सदस्यों को प्रश्न, संकल्प, विधेयक आदि के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर भी प्राप्त हो सके तथा सदन के समक्ष कार्य भी प्रभावी रूप से भी निष्पादित हो सके। प्रस्तुत प्रकरण में विधान सभा का यह प्रथम सत्र है तथा आय–व्ययक प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारण को समय पर सुनिश्चित करने के लिए सत्रावसान न कर पृथक से सत्र आहूत न करके उसी सत्र की अवधि में आय व्ययक को पारित करने का निर्णय लिया गया है। नियमावली में वर्णित तीन सत्रों की

व्यवस्था सदन के कार्यों के लिये एक साधारण प्रक्रिया का हिस्सा है परन्तु संविधान के अनुच्छेद–174 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे सत्र आहूत कर सकते हैं। इन तीन सत्रों की व्यवस्था नियमों में की गयी है, किन्तु यदि किसी भी समय सत्र आहूत किया गया हो तो उसको विस्तारित करने में कोई निषेध नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि..........(माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और एक साथ अपनी बात कहते हुए नारे बाजी करने लगे, जिससे सदन में घोर उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

यदि कोई सत्र विस्तारित हो और नियमों में वर्णित तीन सत्रों में से कोई भी एक यदि इस विस्तारित अवधि में आ रहा हो या ओवरलैपिंग कर रहा हो तो केवल इस आधार पर सत्रावसान करना कि ऐसा नियमों में वर्णित सत्रों को आहूत करने के लिए आवश्यक है, व्यवहारिक भी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त 60 दिनों की व्यवस्था न्यूनतम अवधि के रूप में अपेक्षित है और यदि सत्र 60 दिन से अधिक चलता है तो उसके सम्बन्ध में भी कोई बाध्यता नहीं है। साथ ही विधान सभा के सत्र आहूत करने का अधिकार महामहिम राज्यपाल का है। अतः इस सम्बन्ध में उनके अधिकार को चुनौती देना भी इस विधान सभा के लिए उचित नहीं होगा। अतः उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में संविधान अथवा नियमावली का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः यह प्रकरण व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत नहीं होने के कारण मैं इसे अस्वीकार करता हूँ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष से मेरा अनुरोध है कि कम से कम सदन को व्यवस्थित करने की कृपा करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष वेल में खड़े होकर अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014

शहरी विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014

शहरी विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय सदस्य श्री मालचन्द, दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, तीसरी सूचना श्रीमती विजय बड़थ्वाल, चौथी सूचना श्री मदन कौशिक, श्री अरविन्द पाण्डेय, श्री चन्द्रशेखर एवं श्री आदेश चौहान, पांचवी सूचना श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, छठी सूचना श्री संजय गुप्ता, सातवीं सूचना श्री आदेश चौहान, श्री मदन कौशिक, श्री यतीश्वरानन्द एवं श्री संजय गुप्ता, आठवीं सूचना श्री चन्दन राम दास, नवीं सूचना श्री पूरन सिंह फर्त्याल, दसवीं सूचना श्री दलीप सिंह रावत, ग्यारहवीं सूचना श्री महावीर सिंह रांगड़, बारहवीं सूचना श्री यतीश्वरानन्द तथा तेरहवीं सूचना श्री गणेश जोशी, की कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से पहली सूचना श्री मदन कौशिक, श्री चन्द्रशेखर, श्री अरविन्द पाण्डे एवं श्री आदेश चौहान, दूसरी सूचना श्री संजय गुप्ता, तीसरी सूचना श्री आदेश चौहान, श्री मदन कौशिक, श्री यतीश्वरानन्द एवं श्री संजय गुप्ता, चौथी सूचना श्री पूरन सिंह फर्त्याल तथा पांचवीं सूचना श्री दलीप सिंह रावत की, कुल पांच सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ, शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

(वेल में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

भट्ट जी, आपकी 310 की सूचना को 58 में ले रहे हैं।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष वेल में खड़े होकर अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 03:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े रहे।)

नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना को चर्चा हेतु पुनः उठाये जाने का प्रयास

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, एक मामला सुबह से उठा हुआ है, यह बहुत गम्भीर मामला है, जो लोक सूचना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, सर्वे चौक, विकास भवन, देहरादून के कार्यालय से कुछ सूचनायें आई हैं। जिसके सम्बन्ध में नियम 310 में हमने आपको सूचना दी है। यह कोई हल्की–फुल्की सूचना नहीं है, जब किसी मंत्री के खिलाफ कोई बात आती है, तो वह एक प्रकार से पूरी सरकार पर लांछन होता है। हमने यह कहा है कि इसकी सत्यता क्या है, जो डाक्यूमेंट हमारे पास हैं, इनको सत्य या असत्य से परे नहीं माना जा सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने कल भी सुना था, जो भी आरोप हैं, हम उनको भी सुनने को तैयार हैं, उनका उचित उत्तर देकर सरकार आपको सन्तुष्ट करेगी। आप इसे नियम 58 में लाइये तो अच्छा होगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने यह सूचना नियम 310 में दी है, यह मामला सिर्फ यहीं देहरादून का नहीं है, यह माननीय मंत्री जी का नहीं है, कम से कम चार करोड़ 13 लाख तो यहीं इस जिले का है, वर्ष 11–12, 12–13 में इसी प्रकार से उद्यानपतियों को बांटा गया है, इसमें कम से कम 100 करोड़ का घोटाला हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, मैंने आपसे इस सूचना को नियम 58 पर ग्राह्यता पर सुनने के लिय अनुरोध किया है। कल आप फिर इस सूचना को दे दीजिये, इसे कल ग्राह्यता पर सुन लिया जायेगा।

*श्री उमेश शर्मा (काऊ)–

मान्यवर, वर्ष 11–12 में तो भाजपा के मंत्री रहे होंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, चाहे मंत्री किसी के भी हों, आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि यह मामला 12–13 का है और 11–12 से लेकर यह बंटने शुरू हुये थे। जो इस पीरियड में बंटें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, उन सबकी सी0बी0आई0 इन्क्वायरी हो जाय, लेकिन यह मामला 12–13 का है। इसलिये यह 310 से कम का मामला नहीं बनता है, इसपर इसलिये आप एक बार चर्चा करा दें, उसके बाद आप जो निर्देश देना चाहें, वह हमें मान्य होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह इतना गम्भीर मामला है कि यह पूरे प्रदेश की परिसम्पत्तियों को बचाने का मामला है, अगर सरकार अपने–अपने चहेतों को इसी प्रकार से यह धनराशि देती गई और सब्सिडी का लाभ लेती गई, अगर 10 लाख रुपये किसी को दिये गये तो 5 लाख तो उसको सब्सिडी चली गई, यदि मंत्रीगण ऐसा करेंगे तो प्रदेश की बाकी जनता का क्या होगा।

अनुदान संख्या–01, विधान सभा

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपये 1155126 हजार (रुपये एक सौ पन्द्रह करोड़ इक्यावन लाख छब्बीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपये 1155126 हजार (रुपये एक सौ पन्द्रह करोड़ इक्यावन लाख छब्बीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–03, मंत्रिपरिषद्

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03, मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपये 404601 हजार (रुपये चालीस करोड़ छियालीस लाख एक हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03, मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपये 404601 हजार (रुपये चालीस करोड़ छियालीस लाख एक हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1679415 हज़ार (रुपये एक सौ सड़सठ करोड़ चौरानवे लाख पन्द्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1679415 हजार (रुपये एक सौ सड़सठ करोड़ चौरानवे लाख पन्द्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–08, आबकारी

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 144772 हजार (रुपये चौदह करोड़ सैंतालीस लाख बहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 144772 हजार (रुपये चौदह करोड़ सैंतालीस लाख बहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 11538675 हजार (रुपये एक हजार एक सौ तिरपन करोड़ छियासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 11538675 हजार (रुपये एक हजार एक सौ तिरपन करोड़ छियासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, जो यहाँ पर चल रहा है इस सदन में, मैं समझता हूँ कि जिस सदन से हमारा विश्वास उठ गया है इस सरकार से, इसलिए हम सदन कर परित्याग करते हैं, हम परित्याग करते हैं इस सदन का।

(घोर व्यवधान)

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण सदन का परित्याग कर चले गये।)

अनुदान संख्या–14, सूचना

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 385018 हजार (रुपये अड़तीस करोड़ पचास लाख अठ्ठारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 385018 हजार (रुपये अड़तीस करोड़ पचास लाख अठ्ठारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये। (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–21, ऊर्जा

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 5194999 हजार (रुपये पांच सौ उन्नीस करोड़ उन्चास लाख निन्यानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 5194999 हजार (रुपये पांच सौ उन्नीस करोड़ उन्चास लाख निन्यानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 14051480 हजार (रुपये एक हजार चार सौ पांच करोड चौदह लाख अस्सी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकान के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 14051480 हजार (रुपये एक हजार चार सौ पॉच करोड़ चौदह लाख अस्सी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–23, उद्योग

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1056739 हजार (रुपये एक सौ पाँच करोड़ सड़सठ लाख उन्तालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1056739 हजार (रुपये एक सौ पाँच करोड़ सड़सठ लाख उन्तालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–27, वन

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 5262906 हजार (रुपये पाँच सौ छब्बीस करोड़ उनतीस लाख छः हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 5262906 हजार (रुपये पाँच सौ छब्बीस करोड़ उनतीस लाख छः हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जाएं।

(प्रतियाँ वितरित की गईं।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3 अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014

(विधेयक संख्या   वर्ष 2014)

31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2014 है।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2014–15 के लिये रु0 303537786000 का दिया जाना

2. उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों, जिन सबका कुल योग रुपये 303537786000 (रुपये तीन हजार तीन सौ तिरपन करोड़ सतहत्तर लाख छियासी हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है उनका विनियोग 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
01–	विधान सभा	राजस्व	274126	11790	285916
		पूँजी	881000	0	881000
02–	राज्यपाल	राजस्व	0	69705	69705
		पूँजी	0	0	0
03–	मन्त्रिपरिषद	राजस्व	404601	0	404601
		पूँजी	0	0	0
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	1429414	298091	1727505
		पूँजी	250001	0	250001
05–	निर्वाचन	राजस्व	466641	0	466641
		पूँजी	0	0	0
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	20234228	25139	20259377
		पूँजी	84001	5000	89001
07–	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	43176734	30649277	73826011
		पूँजी	1562607	17577900	19140507
08–	आबकारी	राजस्व	144772	0	144772
		पूँजी	0	0	0
09–	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	119116	119116
		पूँजी	0	10000	10000
10–	पुलिस एवं जेल	राजस्व	11279371	0	11279371
		पूँजी	259304	0	259304
11–	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	49455032	0	49455032
		पूँजी	3633271	0	3633271

1	2	3			
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	11930213	0	11930213
		पूँजी	2299006	0	2299006
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	6596966	0	6596966
		पूँजी	6955002	0	6955002
14–	सूचना	राजस्व	380018	0	380018
		पूँजी	5000	0	5000
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	11710510	0	11710510
		पूँजी	1449301	0	1449301
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	1689266	0	1689266
		पूँजी	246000	0	246000
17–	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	5199581	0	5199581
		पूँजी	44303	0	44303
18–	सहकारिता	राजस्व	430797	0	430797
		पूँजी	70000	0	70000
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	8155774	0	8155774
		पूँजी	2599476	0	2599476
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	4168636	0	4168636
		पूँजी	8123778	0	8123778
21–	ऊर्जा	राजस्व	267896	0	267896
		पूँजी	4927103	0	4927103
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	7245480	49900	7295380
		पूँजी	6806000	0	6806000
23–	उद्योग	राजस्व	909852	0	909852
		पूँजी	146887	0	146887
24–	परिवहन	राजस्व	391189	0	391189
		पूँजी	387007	0	387007
25–	खाद्य	राजस्व	2281195	0	2281195
		पूँजी	50001	0	50001

1	2		3		
26–	पर्यटन	राजस्व	1008064	0	1008064
		पूँजी	644502	0	644502
27–	वन	राजस्व	4936901	0	4936901
		पूँजी	326005	0	326005
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	1600453	0	1600453
		पूँजी	19928	0	19928
29–	औद्यानिक विकास	राजस्व	1296072	6024	1302096
		पूँजी	0	0	0
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	7694978	0	7694978
		पूँजी	4993874	0	4993874
31–	अनुसूचिज जनजातियों का	राजस्व	1932469	0	1932469
	कल्याण	पूँजी	1261248	0	1261248
	योग	राजस्व	206691239	31229042	237920281
		पूँजी	48024605	17592900	65617505
	महायोग		254715844	48821942	303537786

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

*श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और इसके महत्व के विषय पर अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर मुझे दिया। मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है– "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक समग्र जल नीति निर्धारित की जाए।" मान्यवर, उत्तराखण्ड में देश की दो प्रमुख नदियों का उद्‌गम स्थल है। पूरा राज्य हिमनदों से प्रारम्भ होने वाली नदियों से आच्छादित है। राज्य का उत्तरी भाग हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। परन्तु अभी तक इस सम्पदा का पूरा लाभ इस राज्य के निवासियों को नहीं मिल पा रहा है। राज्य के पास न जल संग्रहण की नीति है, न भू–जल की उपलब्धता को बढ़ाने की व्यवस्था। हमारे जंगलों का एक बड़ा भाग ऐसी प्रजाति के वृक्षों का है, जो जल संग्रह करने में असमर्थ हैं। खाल के क्षेत्रों में जल संग्रहण पर कोई कार्य नहीं हुआ है। तालों तथा झीलों के विकास की कोई योजना नहीं है। यह विषय पेयजल उपलब्धता सिंचाई, जल विद्युत तथा पर्यटन हर आर्थिक विकास के क्षेत्र को प्रभावित करता है। एक समग्र जल संरक्षण नीति का गठन राज्य के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है।

मान्यवर, अगर हम थोड़ा पुराने काल से देखें तो हमारे सामने बौद्ध काल के कुछ उदाहरण हैं। जिसमें अजन्ता और एलोरा कि कुछ गुफायें हैं और मुम्बई के पास कुछ कैनेरी की गुफायें हैं। ये वे इलाके हैं जहाँ पर पेयजल के मीठे पानी का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है। परन्तु इतना लम्बा काल बीत जाने के बाद भी, आज अगर हम वहाँ जाते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं तो पीने का मीठा जल वहाँ पर उपलब्ध है। क्योंकि उस काल में जब इंजीनियरिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसका आज हम अवलोकन करते हैं तो उस काल में उन्होंने वर्षा के जल का संग्रहण वहाँ किया। मान्यवर, मुगल काल के भी कुछ उदाहरण हैं। शिवाजी महाराज के किले जो घाट के इलाके में वैरन पहाड़ियों के बिलकुल ऊपर स्थिति हैं। उनमें भी आज तक पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं है और पाण्डु का विशाल किला आज भी जल संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण है। ग्वालियर और जयपुर जैसे बड़े किलों में भी पीने के पानी की व्यवस्था, पहाड़ के ऊपर के वर्षा के जल संग्रहण से ही की गयी। मान्यवर, देहरादून और मसूरी में जो ऊंचाई वाले हिस्से हैं और जो उसके आस–पास की दूसरी पुरानी स्टेट है। इनमें अगर हम आज भी देखें तो ब्रिटिश काल की जल संग्रहरण व्यवस्था हमारे सामने दिखाई देती है।

मान्यवर, इस देश के बहुत बड़े–बड़े शहर हैं, मुम्बई, अहमदाबाद और हैदराबाद जिनके पेयजल की व्यवस्था आज भी वर्षा के जल को संग्रहण करके ही की जाती है और राजस्थान में श्री गंगानगर का इलाका, उदयपुर का इलाका और जयपुर का इलाका है। ये सारे के सारे इलाके वर्षा के जल को संग्रह करके और उसका प्रयोग करके अपना पेयजल और जल की आपूर्ति को पूरा करते हैं। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि उत्तराखण्ड में और उदाहरण नहीं हैं, हमारा नैनीताल शहर है जिसमें एक बांध बनाकर एक झील का रूप दिया गया और भीमताल है जिसमें एक बांध बनाकर उसको भी एक झील का रूप दिया गया। अगर ऊधमसिंह नगर के तराई क्षेत्र में जायें तो आज भी हमारे आठ या नौ सिंचाई बांध, केवल उत्तराखण्ड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था भी कर रहे हैं। मान्यवर, कहीं न कहीं नीति का अभाव तो है। यदि देहरादून में सौंग नदी के ऊपर एक परियोजना बांध बनाकर जल संग्रह करने की, पिछले 15–20 साल से उपेक्षा का शिकार हो रही है और हम वर्षा के जल को संग्रह न करके ट्यूबवेल पर आधारित पेयजल की व्यवस्था को देहरादून में कर रहे हैं और उसका नतीजा है कि जो हमारा भू–जल स्तर है, वह लगातार गिरता जा रहा है।

मान्यवर, मैंने इन चीजों का जिक इसलिए किया कि यह असम्भव कार्य नहीं है और यह आसानी से किये जा सकते हैं। हाँ, उस इच्छाशक्ति और उस नीति की जरूरत होगी जो हमारे पूर्वजों में थी और दुर्भाग्य से हम में नहीं है। मान्यवर, जल नीति में मैंने पेयजल का जिक्र किया। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज भी उत्तराखण्ड में 1883 बस्तियां ऐसी हैं जो पेयजल से पूर्ण रूप से वंचित बस्तियों के रूप में चिन्हित हैं और 6338 बस्तियां ऐसी हैं जिनमें आज भी हम केवल आंशिक जलापूर्ति कर पा रहे हैं। मान्यवर, इसमें उन योजनाओं का जिक्र नहीं है, जो अटल ग्राम पेयजल योजनाओं के रूप में ग्राम सभाओं को हस्तान्तरित कर दी गयी। क्योंकि उनका कोई सर्वे हुआ ही नहीं है। मान्यवर, इस बात का भी सर्वे उपलब्ध नहीं

है कि अगर कोई बस्ती आज से पांच या दस साल पहले एफ0सी0 श्रेणी में थी यानी फुल्ली सैचुरेटेड श्रेणी में थी तो स्रोत में जल कम हो जाने के कारण या जनसंख्या बढ जाने के कारण वो पारस्यली सैचुरेटेड में चली गयी है। हमने अपने राज्य में इसका भी सर्वे नहीं कर रखा है। इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या पेयजल है और विशेषकर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से यह सबसे गम्भीर समस्या के रूप में हमारे सामने है।

मान्यवर, अभी फाईनेन्स कमीशन आया और चला गया, प्लानिंग कमीशन हर साल हमें बुलाता है, पर हमारे पास कोई जल नीति नहीं है, तो हम कोई प्रस्ताव इनके सामने नहीं रख पाते हैं। मान्यवर, इस प्रदेश में स्वैप लागू हुआ और स्वैप से एक और अजीब सी स्थिति पैदा हो गई, जल संस्थान को भी संसाधन मिलने बन्द हो गये, जल निगम को भी संसाधन मिलने बन्द हो गये और स्वैप की योजनाओं का अगर हम आकलन करें तो उसमें हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप हम कितने सफल हो सके, इसपर भी हमने अभी कोई आकलन नहीं किया है। मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र का एक उदाहरण अधिकारियों को भी दे चुका हूँ और आपके माध्यम से सदन को भी देना चाहता हूँ, कि जमनेपुर तप्पड़ गाँव के लिए जो टयूबवेल लगाया गया तो वह ट्यूबवेल जमनेपुर तप्पड़ से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर लगा दिया गया, ऐसा काम स्वैप के अन्तर्गत हम लोगों ने करके दिखाया। अम्बाड़ी बाड़वाला का जो स्वैप का प्रोजेक्ट है, चूँकि वहाँ बिजली की दर ज्यादा पड़ती है इसलिए वह पूरी तरह से असफल योजना है, जहाँ–जहाँ स्वैप में हमने विद्युत के प्रयोग से नलकूपों को लगाकर योजना बनाने की कोशिश की है वो योजनायें उस संरचना के अन्तर्गत जिसकी परिकल्पना स्वैप में की गई है वह नहीं चल पा रही हैं।

मान्यवर, दूसरा प्रमुख विषय जल नीति में सिंचाई का है, इससे आप स्वयं अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में इसकी क्या स्थिति है, कितनी भूमि हमारी सिंचित है और कितनी भूमि असिंचित है और हमने कभी कोशिश नहीं की हम इजराईल जैसे देश से कोई सबक ले सकें, उनकी तकनीकि का कोई फायदा उठा सकें और उसके आधार पर अपने राज्य के लिए कोई योजना बना सकें। जहाँ पर हमारे पास जल उपलब्ध हो जाता है तो हम फ्लड इरीगेशन की व्यवस्था सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई के माध्यम से कर देते हैं, जमीन के मिनरल भी खराब करते हैं और अपनी डाली हुई खाद भी बहा देते हैं। मान्यवर, हमने न स्प्रिंकलर की योजना बनाई, न माईक्रो स्प्रिंकलर की योजना का प्रयोग किया और न ग्रिप की योजना का प्रयोग किया और अभी जहाँ पर सिंचाई ट्यूबवेल लग सकते हैं, वहाँ पर नाबार्ड के माध्यम से कुछ सिंचाई ट्यूबवेल में स्प्रिंकलर की परियोजनायें स्वीकृत भी हुई, पर उन परियोजना का अध्यनन होना चाहिए कि कृषक उसका प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कृषक उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि

योजनायें व्यवहारिक नहीं हैं और स्प्रिंकलर का जो डिजाइन उन्होंने बनाया है उस डिजाइन से सिंचाई इसलिए सम्भव नहीं है कि हर बार कृषक एक जगह से दूसरी जगह स्प्रिंकलर को उठाकर ले जायेगा, जैसा उन्होंने सोच लिया तो वह तरीका सम्भव ही नहीं है कि हो सके। हाँ नाबार्ड यदि बैंकों के माध्यम से कृषकों को उनके खेत में लगाने के लिए स्प्रिंकलर के प्रोजेक्ट दे देता तो शायद वे ट्यूबवेल भी सफल हो जाते और स्प्रिंकलर की एक सफल योजना भी हमारे इस इलाके में दिखाई दे जाती। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के लिए विशेष रूप से माईक्रो स्प्रिंकलर और ड्रिप, चाहे हम हार्टिकल्चर की बात करें, चाहे हम सब्जी की खेती की बात करें और चाहे हम सामान्य खेती की बात करें, यह सबसे महत्वपूर्ण योजना हो सकती है और इसका आधार जल का प्रयोग ही है, इसलिए जल नीति की आवश्यकता पर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

मान्यवर, एक अंग और भी है जिसे हम जल विद्युत के नाम से जानते हैं, तो जल विद्युत के लिए उपलब्ध जल का जरा सा आकलन करें, तो हमारे तीन सीजन बनते हैं। एक गर्मी का सीजन जिसमें बर्फ पिघलती है और नदियों में पूरा जल उपलब्ध रहता है, एक जाड़े का सीजन है जिसमें बर्फ न पिघलने के कारण वही जल स्तर गिर जाता है और जल विद्युत योजनाओं के उत्पादन में कमी आ जाती है और जब वर्षाकाल आता है तो वर्षाकाल में इतना अधिक जल नदियों में आता है कि हमारी जल विद्युत परियोजनायें बन्द हो जाती हैं, उत्पादन ठप हो जाता है, अगर इन्हीं जल विद्युत परियोजनाओं की अपस्ट्रीम में हम छोटे–छोटे वॉटर रिजर्ववायर की परिकल्पना करें और उसमें वर्षा के जल को एकत्र कर लें तो जाड़े में उस जल को छोड़कर विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, उससे पेयजल की व्यवस्था उन गाँवों में की जा सकती है जो अत्यधिक ऊँचाई पर हैं और जहाँ हम आज लिफ्ट इरीगेशन से या लिफ्ट योजनाओं के जरिये पानी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मान्यवर, सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध हो सकता है, मत्स्य पालन भी हो सकता है और छोटी झीलों के विकास से, मान्यवर, पर्यटन की भी व्यवस्था हो सकती है और सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस किस्म के जो रिजर्ववायर हैं ये भू–जल के संवर्द्धन का कार्य करेंगे। मान्यवर, उससे ऊपर के हिस्से में जो हमारे ताल और खाल की पुरानी एक नैसर्गिक संरचना हमारे प्रदेश में है, उनके संरक्षण की योजना पर भी हमें कार्य करना पड़ेगा।

मान्यवर, वर्षा जल संरक्षण के लिए कुछ लोग हमारे राज्य में कार्य कर रहे हैं, पर वे कम्युनिटी बेस प्रोजेक्ट पर कार्य नहीं कर रहे हैं, वो किसी गाँव के लिए कोई जल संरक्षण का बांध बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, वे किसी शहर के लिए कोई बड़ा बांध बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं, वे 200–250 लीटर का एक ड्रम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि आपकी छत से जो वर्षा का

पानी टपकेगा, उस जल को टैंक में इकट्ठा कर लो और पर्याप्त मात्रा में धन उन संस्थाओं को दिया जा रहा है। मान्यवर, 200–250 लीटर का पानी कितने दिन वह गांव का आदमी प्रयोग करेगा और कितनी बार हमारे यहाँ वर्षा होगी कि हम उस ड्रम के अंदर पानी को इकट्ठा कर सकेंगे। मान्यवर, ऐसी अव्यवहारिक योजनाएं भी हम अपने प्रदेश में कोई ठोस नीति के अभाव में चला रहे हैं। मान्यवर, वृक्षारोपण नीति में हमने अपने समय में एक परिवर्तन किया था, हमारे जितने जंगल हैं, जिनको देखकर हम बहुत खुश होते हैं, इनका जो सबसे बड़ा दोष है वह यह है कि यह मोनो कल्चर फोरेस्ट है। मान्यवर, इनमें टॉप कैनेपी के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। शाल के जंगल आपको काफी दिखायी देंगे, चीड़ के जंगल खूब दिखायी देंगे, चूंकि चीड़ एक रीजिन बनाने के लिए एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में अंग्रेजों ने यहाँ लगाया था। मान्यवर, जब अंग्रेजों ने साल के जंगल को रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए काटा तो उन्होंने दुबारा कोशिश की कि साल के जंगल ही यहां पर बचे रहें। देहरादून के चारों तरफ हमें बहुत अच्छा जंगल दिखायी देता है, इसको देखकर हम बहुत खुश होते हैं। जैसे हम जिम कार्बेट पर नाच करते हैं, हमें बहुत अच्छा जंगल दिखायी देता है, परन्तु वास्तविकता यह है कि ये मोनोकल्चर फोरेस्ट है। इन पेड़ों की जिस दिन उम्र पूरी होगी ये सब एक दिन मरेंगे। इन पेड़ों के नीचे कोई भी ऐसी वनस्पति पैदा नहीं होती है, जो जंगली जानवरों या जल संरक्षण के काम आ सके।

मान्यवर, वृक्षारोपण में तीनों कैनेपी महत्वपूर्ण हैं, टॉप कैनेपी, जिससे इमारती लकड़ी मिलती है, मिडिल कैनेपी जिससे खाने की सामग्री मिलती है, जिसमें चाहे वह फल हों या चाहे वह चारा हो और ग्राउण्ड कैनेपी, जिससे घास और चारा जानवरों को उपलब्ध हो सके। यह वृक्षारोपण नीति का जो परिवर्तन था, वह हमने किया और इस वृक्षारोपण नीति को लागू करना हम पिछले सात सालों में भूल चुके हैं। हमारे जो पत्तीदार वृक्ष बांज हैं, बुरांस हैं। इन वृक्षों के बारे में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। चीड़ के जंगल को हटाकर दूसरा जंगल लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने इस नीति का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यह जल संरक्षण का सबसे बड़ा साधन है। यदि वर्षा का जल टॉप कैनोपी से मिडिल कैनोपी होता हुआ ग्राउण्ड कैनोपी तक जायेगा तो जमीन के अंदर अच्छी तरह से जल होगा और तभी हमारे भू–जल का स्तर बढ़ने की बात हो सकती है। तभी यह जो फ्लैस फ्लड आते हैं इनमें कमी आने की बात हो सकती है। अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं संसाधनों की बात भी करना चाहूँगा। संसाधनों के अभाव की बात हो सकती है कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम ग्रीन बोनस क्यों मांग रहे हैं, जब हम ग्रीन बोनस मांग रहे हैं और हमें फाईनेंस से ग्रीन बोनस मिल रहा है तो, इस बोनस का उपयोग किस बात के लिए होना चाहिए? वन विभाग हमारी हर सड़क के ऊपर जो पैसा लेता है। जो कैम्प का फण्ड क्रियेट

होता है और जो कैम्पा की 6–7 सौ करोड़ रू0 की धनराशि हमको पिछले 5–6 सालों में मिली है, इस 5–6 सौ करोड़ रू0 धनराशि का उपयोग हमारे वन विभाग ने किस काम के लिए कर दिया है? विभाग सारी की सारी चीजें क्यों भूल गये जो हम उनको तय करके दे गये थे ?

मान्यवर, मनरेगा योजना है, इस योजना के बारे में जो जानकारी सदन में मिली है, कितने हजार लाख मैन डेज एक साल के अंदर जनरेट हो रहे हैं। मनरेगा का प्रयोग इन कार्यों के लिए क्यों नहीं हो सकता? मान्यवर, भारत निर्माण, लघु सिंचाई की बात करता हूँ। माननीय मंत्री जी इस समय यहाँ पर नहीं हैं। लघु सिंचाई के लिए जो पैसा उपलब्ध है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप जितने चाहें, उतने प्रोजेक्ट बना लीजिए। मेरा अपना विधान सभा क्षेत्र है। इस साल 60 करोड़ रू0 के टेंण्डर हो रहे हैं। उस लघु सिंचाई की नहर का ना तो ऊपर कोई स्रोत है और न उसके नीचे कोई टेल है। मान्यवर, बहुत आराम से इतने पैसे का साढ़े तेरह परसेंट में बंटवारा हो सकता है, उनको साढ़े तेरह परसेंट एडवांस दीजिए, लघु सिंचाई विभाग से आपको ठेका मिल जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में तो आप स्वयं अवगत होंगे कि लघु सिंचाई विभाग ने क्या–क्या चमत्कार करके दिखाए हैं और भारत निर्माण योजना, जिसमें असीम धनराशि उपलब्ध है, उस भारत निर्माण योजना का उपयोग एक नीति के अभाव में हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मान्यवर, मुझे महसूस हुआ कि यह एक चिन्ता का विषय है और मैंने इसे सरकार के सामने इसलिए रखा कि अगर हम इस दृष्टि से नहीं चले, मान्यवर, मैं जिक्र करना चाहूँगा कि भीमताल के बांध के निर्माण के लिए मेरी पत्नी के परिवार के बुजुर्ग को उनकी मृत्यु के 30–40 साल बाद सम्मानित किया गया क्योंकि उस बिना पढ़े–लिखे किसान ने भीमताल के ताल के निर्माण के लिए जो जानकारी ब्रिटिशर्स को दी थी, बाद में कहीं जाकर ब्रिटिश सरकार ने उसको स्वीकार किया और 3–4 साल पहले आकर उनको सम्मानित किया। तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़े तकनीकी कारणों की जरूरत है और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है।

लघु सिंचाई विभाग में जितने हजार करोड़ रुपये आप मांग सकते हों, उतने हजार करोड़ रुपये आपको केन्द्र सरकार से मिलते हैं। मनरेगा में जितने हजार करोड़ रुपये आप मांग सकते हों, उतने हजार करोड़ रुपये आपको केन्द्र सरकार से मिलते हैं और वन विभाग के पास तो एक ऐसी धनराशि है, जो कि हर सड़क, हर योजना में कट कर हमारे ही खाते से उनके पास जमा होती है, वह धनराशि तो हमारे पास उपलब्ध है ही। इसलिए इसमें संसाधनों का अभाव भी नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो एक इच्छा शक्ति की जरूरत है, एक सही नीति के गठन की जरूरत है। आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय को सदन के माध्यम से सरकार के सामने रखने का मुझे अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और यह मेरी दिली ख्वाहिश है कि सरकार इसको

निन्दा या किसी दूसरी दृष्टि से न देखे, बल्कि यह देखे कि यह हमारे प्रदेश की कितनी बड़ी आवश्यकता है। अगर हमने पर्वत के ऊँचे गाँव के ऊपर पेयजल पहुँचा दिया और अगर हमने उनकी सिंचाई की व्यवस्था कर दी और अगर देहरादून जैसे बड़े शहर में सौंग परियोजना जैसे बांधों का निर्माण करके हमने पेयजल उपलब्ध करा दिया तो निश्चित रूप से हम इस राज्य के लिए एक चमत्कारिक व्यवस्था करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए सरकार का ध्यान एक जल नीति बनाने के लिए आकर्षित करता हूँ। साथ–साथ एक चेतावनी भी देता हूँ कि यहाँ ऐसे लोग, ऐसे एन0जी0ओज0 हैं, जो इस जल नीति को दूसरी तरफ ले जाकर हमको संकट में डाल रहे हैं, जो ऐसी चीजों को हमारे सामने खड़ा कर देते हैं, इस तरह से न्यायालयों के सामने चले जाते हैं कि हम खुद अपनी विकास योजनाओं को रोकने के भागी बन जाते हैं। वे अजीब–अजीब भावनाओं की बात करते हैं, वे धार्मिक भावनाओं को भी बीच में ले आते हैं। ऐसे लोगों से भी यह सरकार सावधान रहे, एक स्पष्ट जल नीति लेकर सामने आए, एक दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ सामने आए, जो लोग इस तरह से हमको नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिनका जिक हम करेंगे, जब हम ईको टूरिज्म पर चर्चा में भाग लेंगे, जिनका हम अंदाज सरकार को देंगे, उन लोगों से भी सावधान रहें। हम अपने विभागों के अन्दर भी सामन्जस्य स्थापित करें साधनों के सही प्रयोग के लिए और इस राज्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके लिए एक नीति का निर्धारण करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, एक अति महत्वपूर्ण सामयिक प्रश्न पर माननीय नवप्रभात जी ने हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। जल उपलब्धता सारे देश में एक समस्या और प्रश्न के रूप में खड़ी हो गयी है। हमारा विशेष रूप से वन क्षेत्र है। 67 से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गये हैं, मुझे वन विभाग के लोग आज बता रहे थे, 71 प्रतिशत वन क्षेत्र है। ऐसे वन आच्छादित प्रदेश में हम जल की उपलब्धता को कैसे बढ़ाएं क्योंकि जल संकट पैदा हो गया है। इस समय भी ट्यूबवेल जब नीचे लगते हैं, 800 फुट की गहराई पर, उससे भी अधिक गहराई पर पानी मिल रहा है। जल का संकट है, इससे मैं सहमत हूँ। मैं सरकारी दृष्टि से कोई जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं सहमत हूँ इस पर जल नीति बनाई जानी चाहिए। जल संग्रह के कितने तरीके हो सकते हैं, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। कौन से पेड़ लगाने पर हमें जल प्राप्त हो सकता है, किस प्रकार जल का सदुपयोग हो, अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज वे लाए हैं और मैं चाहूँगी कि इसमें समग्र जल नीति बनाई जाए और माननीय नवप्रभात जी के सुझाव को भी सम्मिलित करते हुए, उन्हें उसमें आमंत्रित किया जाय और जल की उपलब्धता, जो एक चिन्ता का विषय बन गया है, इसका समाधान किया जाय।

श्री उमेश शर्मा (काऊ)–

मान्यवर, दो–तीन दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि देहरादून शहर के 20 ट्यूबवैल जल स्तर कम होने की वजह से बन्द होने की कगार पर हैं। अभी नवप्रभात जी ने एक सुझाव दिया कि सौंग नदी के ऊपर बहुत समय से डैम बनाने की तैयारी हो रही थी, अगर उस पर डैम बनाया जाता है तो देहरादून में पेयजल के साथ ही जल स्तर भी बढ़ जायेगा। जो शहर के ट्यूबवैल सूख रहे हैं, उनको भी सहायता मिलेगी और पेयजल की आपूर्ति हो पायेगी। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप निर्देश दें कि सौंग नदी पर बांध बनाये जाने के लिये एक नीति बनाई जाय।

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो पहाड़ों में लैण्ड बैंक हैं, जो वन विभाग के माध्यम से चयनित वन भूमि है, उनमें वनीकरण होना भी जरूरी है। इस ओर सरकार का भी ध्यान जाना चाहिये कि पहाड़ के जो लैण्ड बैंक हैं, उनमें चौड़ी पत्ती के वृक्ष, बांज, बुरांस और फल्यांट का रोपण किया जाय। वनों को बचाने और बढ़ाने का एक कारगर प्रयास सरकार के द्वारा किया जाय, ताकि उन क्षेत्रों में आने वाली आपदाओं से हम निपट सकें, जिन गांवों में बहुत ज्यादा भूस्खलन की स्थिति बनती है, इन पर ध्यान देना होगा, इस ओर भी जल नीति के तहत सरकार विचार करे, ताकि गाँव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नवप्रभात जी, क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर भाषण को सुनने के बाद आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे?

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, इस प्रस्ताव का उद्देश्य ही सरकार का इस नीति की ओर ध्यान आकृष्ट करना था। संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस पर कृपापूर्वक गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है, तो मैं भी मानता हूँ कि सरकार भी इसके ऊपर जल्द कोई प्रभावी कार्यवाही करने का प्रयास करेगी। इसलिये मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री संजय गुप्ता, श्री मदन कौशिक, श्री चन्दन राम दास, श्री महावीर सिंह रांगड़ तथा श्री नवप्रभात की कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री नवप्रभात की सूचना

जो जनपद देहरादून के विकास नगर में विभिन्न पेयजल नलकूपों पर ओवर हैड टैंक बनाने के सम्बन्ध में है, को नियम 53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये तथा माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास की सूचना जो प्रदेश में बी0एड0, बी0पी0एड0 व योग प्रशिक्षितों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में है, को नियम 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूँ।

विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्याल्दे एवं मानिला महाविद्यालयों को पूर्ण पी0जी0 की मान्यता देने की मांग के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

[उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि राजकीय महाविद्यालय, मानिला (अल्मोड़ा) में पूर्व से ही अर्थशास्त्र एवं इतिहास विषय में स्नातकोत्तर स्तर की कक्षायें संचालित हैं। कुमाऊँ विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की स्थायी तथा स्नातकोत्तर स्तर की अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त है। इसी प्रकार राजकीय महाविद्यालय, स्याल्दे (अल्मोड़ा) में हिन्दी एवं अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर स्तर की कक्षायें संचालित हैं। कुमाऊँ विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की स्थायी तथा स्नातकोत्तर स्तर की कक्षायें संचालित हैं। कुमाऊँ विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की स्थायी तथा स्नातकोत्तर स्तर की अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त है।

उपरोक्त दोनों महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालय की मान्यता प्रदान किये जाने हेतु स्थायी सम्बद्धता एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी]

जनपद हरिद्वार के जिला अस्पताल/मेला अस्पताल में डाक्टरों की कमी के कारण मरीजों को होने वाली कठिनाईयों के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

[हरिद्वार के जिला चिकित्सालय में कुल सृजित 19 पदों के सापेक्ष 15 चिकित्सक कार्यरत हैं, जबकि मेला चिकित्सालय में कुल सृजित 14 पदों के सापेक्ष 03 चिकित्सक कार्यरत हैं। हरिद्वार के जिला चिकित्सालय हेतु फिजिशियन की तैनाती दून चिकित्सालय देहरादून से रोस्टर के आधार पर की गई है।

प्रदेश में चिकित्सकों की नितांत कमी है। कुल सृजित 2440 पदों के सापेक्ष मात्र 1023 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं, अवशेष 1417 पद रिक्त चल रहे हैं। इसी प्रकार विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के कुल सृजित 760 पदों के सापेक्ष मात्र 249 चिकित्सक ही कार्यरत हैं, शेष 511 पद रिक्त चल रहे हैं। फिजिशियन के कुल सृजित 129 पदों के सापेक्ष मात्र 27 फिजिशियन ही कार्यरत हैं, शेष 102 पद रिक्त चल रहे हैं।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

लोक सेवा आयोग को 745 चिकित्सकों का अधियाचन भेजा जा चुका है। लोक सेवा आयोग एवं वाक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से चिकित्सक उपलब्ध होने के उपरान्त नियमानुसार चिकित्साधिकारियों की तैनाती चिकित्सालयों में की जायेगी। जिला चिकित्सालय हरिद्वार में भी नियमित फिजिशियन की तैनाती शीघ्र की जा रही है।]

प्रदेश में नये परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्देश

श्री अध्यक्ष–

मुझे माननीय सदस्यों की ओर से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें माननीय अजय भट्ट, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री राकेश शुक्ला, श्री चन्द्रशेखर, श्री मदन कौशिक एवं अन्य कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। जिसमें उल्लेख है कि "प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया चल रही है, दिनांक 08 फरवरी, 2014 को नये पंचायतों का गठन हुआ है। इसलिये नये परिसीमन के आधार पर चुनाव कराए जाए, पीठ से सरकार को निर्देश करने की कृपा करें।" इस सम्बन्ध में पहले भी कुछ निर्देश दिये जा चुके हैं, सरकार द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2014 को पाँच नगर पंचायतों, एक नगर पालिका का गठन तथा एक नगर पंचायत का उच्चीकरण किया गया। जनसंख्या को आधार मानते हुये पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में निर्वाचन के दृष्टिकोण से भिन्नता है, पूर्व में जो परिसीमन किया जा चुका है, उसके अनुसार आरक्षण भी तद्नुसार कर दिया गया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसी ग्राम सभा के नगर पालिका, कैण्टोनमेंट एरिया एवं टाउन एरिया में सम्मिलित होने पर ग्राम सभा का अस्तित्व समाप्त करने का प्रावधान है। इस प्रकार नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के गठन/पुनर्गठन से परिसीमन भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। इससे आरक्षण की व्यवस्था भी इस प्रकार बदले हुए परिवेश में प्रभावित होगी। अतः यह आवश्यक है कि पंचायत क्षेत्रों का नये सिरे से परिसीमन किया जाए एवं आरक्षण की व्यवस्था भी प्राविधानित मानकों के अनुसार तद्नुसार पुनः निर्धारित की जाए। यह पंचायतीराज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिये भी आवश्यक है जिसे कि प्रस्तावित निर्वाचन से पूर्व किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही गत वर्ष आयी आपदा के कारण हुयी क्षति की पूर्ति अविलम्ब करने के लिये अवस्थापना, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण को तत्काल पूर्ण करने के लिये भी समयबद्ध रूप से कदम उठाये जाने आवश्यक हैं। इन सब कार्यों के लिए मानव संसाधनों की आवश्यकताओं को भी दृष्टिगत रखा जाना अपेक्षित होगा जिससे प्रभावित लोगों के पुनर्वास आदि कार्यों को त्वरित गति से न्यूनतम समय में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जा सके। अतः सरकार इस सम्पूर्ण प्रकरण पर उपवर्णित कारणों के आलोक में पुनःपरीक्षण कराये एवं निर्वाचन से पूर्व परिसीमन को यथा आवश्यकता करना सुनिश्चित करे जिससे कि माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी विसंगति एवं विषमताओं का निदान सम्भव हो सके।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 03 बजकर 41 मिनट पर दिन गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी, 2014 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,

दिनांकः 19 फरवरी, 2014

जगदीश चन्द्र,

सचिव,

विधान सभा उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 विधान सभा/250–15–10–2015–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।